

(1)

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लॉक डी इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/प्रयास/140/2024-25/427

नवा रायपुर, दिनांक 16/04/2024

--:: प्रवेश नीति (वर्ष 2024-25) ::--

विषय :- मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनांतर्गत प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं (सत्र 2024-25) में प्रवेश हेतु ऑनलाईन सूचना का प्रकाशन।

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना (संशोधित) नियमावली-2020 छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के द्वारा प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तथा नक्सल पीड़ित/प्रभावित क्षेत्रों में स्थित शालाओं में अध्ययनरत प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु सघन तैयारी करायी जाती है। इन विद्यालयों में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है।

1. **प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों का विवरण:-** राज्य में मांग संख्या-41 अंतर्गत कुल 10 प्रयास आवासीय विद्यालय जिला-रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कांकेर, बालोद, कोरबा, जशपुर तथा रायगढ़ जिले में संचालित हैं। मांग संख्या-64 अंतर्गत अनुसूचित जाति बालक एवं कन्या हेतु जिला दुर्ग एवं रायपुर में स्थापित हैं। मांग संख्या-66 अंतर्गत अन्य पिछड़ा बालक एवं कन्या वर्ग हेतु जिला रायपुर एवं बिलासपुर में संचालित है। इस प्रकार कुल राज्य में 14 प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों को दो भागों में पृथक किया जा रहा है, विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) **वर्तमान में मांग संख्या-41 अंतर्गत निम्नांकित प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु स्वीकृत सीट निम्नानुसार है-**

क्र.	संस्था/जिला	सीट संख्या (परिवर्तनशील)			कक्षा 11वीं में संकाय जिसका अध्यापन किया जाना है
		बालक	कन्या	योग	
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, सड्डू जिला-रायपुर	200	-	200	गणित समूह
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, गुढ़ियारी जिला-रायपुर	-	155	155	जीवविज्ञान समूह
3	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जिला-बिलासपुर	75	50	125	बालक-वणिज्य समूह कन्या-कला समूह (क्लेट)
4	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जिला-दुर्ग	75	50	125	बालक-जीवविज्ञान समूह कन्या-गणित समूह
5	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जगदलपुर जिला-बस्तर	75	50	125	गणित तथा जीवविज्ञान समूह
6	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, अंबिकापुर जिला-सरगुजा	75	50	125	गणित तथा जीवविज्ञान समूह

(2)

7	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जिला-बालोद	75	50	125	गणित तथा जीवविज्ञान समूह
8	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जिला-कांकेर	50	50	100	गणित तथा जीवविज्ञान समूह
9	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जिला-कोरबा	50	50	100	गणित तथा जीवविज्ञान समूह
10	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जिला-जशपुर	50	50	100	गणित तथा जीवविज्ञान समूह
11	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जिला-रायगढ़	75	50	125	गणित तथा जीवविज्ञान समूह
योग		800	605	1405	

(ब) वर्तमान में मांग संख्या-64 एवं 66 अंतर्गत निम्नांकित प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु स्वीकृत सीट निम्नानुसार है-

क्र.	संस्था/जिला	सीट संख्या (परिवर्तनशील)			कक्षा 11वीं में संकाय जिसका अध्यापन किया जाना है
		बालक	कन्या	योग	
1	अनुसूचित जाति बालक प्रयास आवासीय विद्यालय, पाटन जिला-दुर्ग	125	0	125	गणित तथा जीवविज्ञान समूह
2	अनुसूचित जाति कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय, रायपुर जिला-रायपुर	0	125	125	गणित तथा जीवविज्ञान समूह
3	अन्य पिछड़ा वर्ग बालक प्रयास आवासीय विद्यालय, रायपुर जिला-रायपुर	125	0	125	गणित तथा जीवविज्ञान समूह
4	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय, बिलासपुर जिला-बिलासपुर	0	125	125	गणित तथा जीवविज्ञान समूह
योग		250	250	500	

2 योजना अंतर्गत शामिल क्षेत्र :-

(अ) मांग संख्या-41 अंतर्गत संचालित - मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना (संशोधित) नियमावली 2020 अंतर्गत प्रवेश परीक्षा में निम्नांकित क्षेत्र के विद्यार्थी इस प्राक्चयन परीक्षा में शामिल होने हेतु आवेदन कर सकते हैं -

1. प्रदेश के सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में स्थित शासकीय/अशासकीय शालाएं (अनुसूचित क्षेत्र हेतु परिशिष्ट -'अ' देखें)

2. नक्सल प्रभावित (केवल LWE) घोषित ऐसे जिले अथवा नक्सल प्रभावित जिले के ऐसे भू-भाग जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है वहां पर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्थित शासकीय/अशासकीय शालाएं (नक्सल प्रभावित जिले हेतु परिशिष्ट -'ब' एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु परिशिष्ट -'स' देखें)

3. विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबूझमारिया, पण्डो तथा भुंजिया) के विद्यार्थियों हेतु, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश क्षेत्र के रूप में मान्य होगा। (परिशिष्ट -'द' देखें)

टीप:- प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र, नक्सल प्रभावित जिलें तथा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तथा विशेष रूप से कमजोर जनजाति की सूची परिशिष्ट 'अ', 'ब', 'स' 'द' अनुसार है। सूची से क्षेत्र में स्थित शाला जहाँ विद्यार्थी अध्ययनरत है की पुष्टि करने के उपरांत पात्रता होने पर आवेदन करें।

(ब) मांग संख्या-64 एवं 66 अंतर्गत संचालित - छ.ग. राज्य का सम्पूर्ण क्षेत्र इस योजना में शामिल है।

(3)

3 प्रवेश में आरक्षण –

(अ) मांग संख्या-41 अंतर्गत संचालित – अनुसूचित क्षेत्रों/उपयोजना क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग हेतु निम्नानुसार सीटें निर्धारित होंगी –

क्र.	वर्ग	निर्धारित सीट का प्रतिशत	सीट संख्या
1	अनुसूचित जनजाति	53%	745
2	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG)	04%	56
3	अनुसूचित जाति	13%	183
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	20%	281
5	सामान्य वर्ग	10%	140
6	अल्पसंख्यक वर्ग हेतु बालक प्रयास रायपुर	10 सीट	10
7	अल्पसंख्यक वर्ग हेतु कन्या प्रयास रायपुर	10 सीट	10

टीप–

- सीट रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग परस्पर परिवर्तनशील होगा।
- सामान्य वर्ग की सीट रिक्त रहने पर निम्नांकित प्राथमिकता क्रम में रिक्त सीटों को भरा जाएगा – प्रथम प्राथमिकता – अनुसूचित जनजाति
द्वितीय प्राथमिकता – अनुसूचित जाति
तृतीय प्राथमिकता – अन्य पिछड़ा वर्ग
- अल्पसंख्यक वर्ग की सीट रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति वर्ग से सीट भरी जाएगी।

(ब) मांग संख्या-64 एवं 66 अंतर्गत संचालित –

क्र.	वर्ग	सीट संख्या	
		बालक	कन्या
1	अनुसूचित जाति	125	125
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	125	125

- अनुसूचित जाति प्रयास बालक आवासीय विद्यालय पाटन जिला-दुर्ग, अनुसूचित जाति प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय रायपुर जिला-रायपुर हेतु शत-प्रतिशत सीट अनुसूचित जाति बालक/कन्या के लिए आरक्षित है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग प्रयास बालक आवासीय विद्यालय रायपुर, जिला-रायपुर एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर जिला-बिलासपुर हेतु शत-प्रतिशत सीट अन्य पिछड़ा वर्ग बालक/कन्या के लिए आरक्षित है।

4 प्रयास आवासीय विद्यालयों में चयन हेतु मापदण्ड :-

(अ) मांग संख्या-41 अंतर्गत संचालित –

- विद्यार्थी को कंडिका (01) में शामिल क्षेत्र के किसी विद्यालय से कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- वर्ष 2023-24 में कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अथवा वर्ष 2023-24 की कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल विद्यार्थी ही विभाग द्वारा प्रयास विद्यालयों में प्रवेश हेतु आयोजित प्राक्चयन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। प्रयास विद्यालय में प्रवेश के समय कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी को प्रयास विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। प्रथम श्रेणी नही होने पर प्रयास विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित परिवार के बच्चों के लिए चयन के मापदंड शिथिल हैं अर्थात् नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवार के विद्यार्थी यदि इस प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन

(4)

करता है तो उसे सर्व-प्राथमिकता देते हुए सीधे चयन किया जायेगा। इसके लिए संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iv) राज्य के किसी भी विद्यालय से विद्यार्थी को अनुशासनहीनता के आरोप में विद्यालय से निष्कासित ना किया गया हो।

(ब) मांग संख्या-64 एवं 66 अंतर्गत संचालित -

(i) इस योजना अंतर्गत विद्यार्थी को छ.ग. राज्य के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिये।

(ii) छ.ग. राज्य का मूल निवासी हो।

(iii) छ.ग. राज्य के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थाई प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए।

(iv) राज्य के किसी भी विद्यालय से विद्यार्थी को अनुशासनहीनता के आरोप में विद्यालय से निष्कासित ना किया गया हो।

5 विद्यार्थियों के लिए चयन प्रक्रिया :-

(अ) मांग संख्या-41 अंतर्गत संचालित -

- LWE (नक्सल हिंसा) से सीधे प्रभावित/पीड़ित परिवार के पात्र बच्चों को संस्था में सीधे प्रवेश की पात्रता होगी।
- प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा हेतु यथा समय विज्ञप्ति राज्य/जिला स्तर पर प्रकाशित करायी जाएगी।
- सभी प्रयास विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। वर्ष 2023-24 के कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण/परीक्षा में शामिल विद्यार्थी प्रयास विद्यालयों में प्रवेश हेतु आयोजित प्राक्चयन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
- प्रयास विद्यालय में विद्यार्थियों का चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर किया जाता है। मेरिट सूची में सामान अंक होने पर जन्मतिथि में वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जावेगी। (अर्थात् उम्र में जो विद्यार्थी बड़ा होगा उसे पहले प्रवेश दिया जाएगा)
- विज्ञापन में प्रकाशित विवरण एवं शर्तों के अनुसार विद्यार्थी को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- प्रयास आवासीय विद्यालय का आबंटन चयनित विद्यार्थियों द्वारा अर्जित मेरिट तथा उनके द्वारा दिए गए विकल्प के प्राथमिकता क्रम से सीट उपलब्धता अनुसार प्रदान किया जाएगा। इस हेतु विद्यार्थी या उसके पालक से प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का विवरण लिखित में लिया जायेगा।

(ब) मांग संख्या-64 एवं 66 अंतर्गत संचालित -विद्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु पंजीयन/चयन प्रक्रिया -

- आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा यथा समय विज्ञप्ति राज्य/जिला स्तर पर प्रकाशित कराई जायेगी तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र जो कक्षा 8वीं में अध्ययनरत या कक्षा 8वीं में 60 प्रतिशत समकक्ष ग्रेड प्राप्त विद्यार्थी इस प्रवेश परीक्षा हेतु पंजीयन करा सकेंगे।
- प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन में प्रकाशित विवरण एवं शर्तों के अनुसार विद्यार्थी को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- प्रवेश परीक्षा संबंधित जिला मुख्यालय पर आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर/सहायक आयुक्त द्वारा किया जायेगा।
- प्रवेश परीक्षा का आयोजन जिला कलेक्टर/सहायक आयुक्त द्वारा अपने निगरानी में कराया जायेगा।

6 शिक्षा का माध्यम एवं अध्यापन :- प्रयास आवासीय विद्यालय में शिक्षण का माध्यम हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। प्रयास विद्यालय में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित पाठ्यक्रम



लागू है तथा अध्यापन एवं कोचिंग का कार्य "रूचि की अभिव्यक्ति" के तहत आउटसोर्स से चयनित कोचिंग संस्था द्वारा कराया जाता है।

7 परीक्षा केन्द्र का कोड एवं रोल नंबर आबंटन :- प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को सात अंकों का रोल नंबर दिया प्रदान किया जायेगा। प्रथम दो अंक जिले के कोड को प्रदर्शित करेंगे, अगले दो अंक परीक्षा केन्द्र को प्रदर्शित करेंगे एवं शेष तीन अंक विद्यार्थी का नंबर होगा। इस प्रकार रोल नंबर कुल 07 अंकों का होगा।

रोल नंबर हेतु :-

टीप :- किसी भी परीक्षा केन्द्र में विद्यार्थी संख्या 999 से अधिक नहीं रखा जाएगा।

• जिला हेतु निम्नानुसार कोड आबंटित किया गया है :-

जिला का नाम	कोड
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	10
कोरिया	11
सूरजपुर	12
सरगुजा	13
बलरामपुर-रामानुजगंज	14
जशपुर	15
कांकेर	16
कोण्डागांव	17
नारायणपुर	18
जगदलपुर	19
दत्तेवाड़ा	20
सुकमा	21
बीजापुर	22
मोहला-मानपुर-अं. चौकी	23
राजनांदगांव	24
खैरागढ़-गंडई-छुईखदान	25
कबीरधाम	26

जिला का नाम	कोड
बालोद	27
धमतरी	28
बिलासपुर	29
गोरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	30
कोरबा	31
मुंगेली	32
सक्ती	33
रायगढ़	34
सारंगढ़-बिलाईगढ़	35
बलौदाबाजार	36
महासमुन्द	37
गरियाबंद	38
बेमेतरा	39
रायपुर	40
दुर्ग	41
जांजगीर-चांपा	42
-	-

8 प्रश्न पत्र का पैटर्न :- कक्षा 8वीं स्तर के प्रश्न होंगे। जिसके विषय एवं अंकों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	विषय	अंक
1	विज्ञान	20
2	गणित	20
3	सामाजिक विज्ञान	20
4	मानसिक योग्यता परीक्षा	10
5	हिन्दी	10
6	अंग्रेजी	10
7	छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान	10
	कुल	100



- प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे।
- सही उत्तर को विद्यार्थी द्वारा ओ.एम.आर. सीट के निर्धारित स्थान पर स्वयं निर्देशित निशान लगाना होगा।
- ओ.एम.आर. सीट को गलत भरने या उसमें कांट छांट करने पर विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- ओ.एम.आर. सीट पर किसी प्रकार का सुधार मान्य नहीं होगा।

9 आवेदन पत्र भरने का तरीका:- प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रारूप इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी सही-सही भरी जाये। आवेदन पत्र में गलत जानकारी पायी जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा जिसके लिए कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ वांछित अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाये।

10. शाला में प्रवेश/काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज/अभिलेखों की सूची :-

- छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने का सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र।
- सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र।
- वर्ष 2023-24 में कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।
- यदि परिवार नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित है तो इस आशय का संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- प्रवेश नीति के कंडिका-2 (1,2,3) अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र।
- शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र या शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र।
- विद्यार्थी की मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र।
- सिकलसेल जांच का प्रमाण पत्र।

11. विद्यालय के चयन हेतु प्राथमिकता क्रम का निर्धारण एवं शाला में प्रवेश/काउंसलिंग के समय में भरकर लाया जाना :-

(अ) मांग संख्या-41 अंतर्गत संचालित - संचालित 10 प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु विद्यालय चयन के लिए प्राथमिकता क्रम दर्शाया जाना अनिवार्य है। विद्यालय का प्राथमिकता क्रम देने के पूर्व विद्यालयों की सूची देखें। कक्षा 11वीं में विद्यार्थी किस संकाय का चयन करना चाहता है उसे अभी से निर्धारित कर प्राथमिकता क्रम भरना चाहिए। प्राथमिकता क्रम एवं विद्यार्थी द्वारा अर्जित किये गये अंक के आधार पर विद्यालय आबंटित किये जायेंगे। प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय जहाँ-जहाँ संचालित हैं, उनमें कक्षा 11वीं में अध्यापन/कोचिंग हेतु संकाय का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रयास आवासीय विद्यालय जहाँ स्थित है	सीट संख्या (परिवर्तनशील)			कक्षा 11वीं एवं 12वीं में निम्नांकित विषय का अध्यापन विद्यालय में होगा	विद्यार्थी द्वारा कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययन हेतु विषय समूह का नाम लिखें	कक्षा 11वीं/12वीं में गणित समूह लेकर अध्ययन हेतु इच्छुक छात्र जो एन. डी.ए. की कोचिंग लेना चाहते हैं तो इस कॉलम में NDA अंकित करें	विद्यालय की प्राथमिकता क्रम (सर्वोच्च प्राथमिकता चयन वाले विद्यालय को क्रमांक 1 एवं इसके बाद के प्राथमिकता वाले को 2, 3 एवं इसी क्रम में अंक भरा जाये)
		बालक	कन्या	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बालक रायपुर	200	-	200	गणित समूह			
2	कन्या रायपुर	-	155	155	जीवविज्ञान समूह			

3	बालक/कन्या बिलासपुर	75	50	125	बालक/कन्या- टाण्डिज्य समूह एवं कला समूह (क्लेट)			
4	बालक/कन्या दुर्ग	75	50	125	बालक-जीवविज्ञान समूह कन्या-गणित समूह			
5	बालक/कन्या बरतर	75	50	125	गणित तथा जीवविज्ञान समूह			
6	बालक/कन्या अंबिकापुर	75	50	125	गणित तथा जीवविज्ञान समूह			
7	बालक/कन्या बालोद	75	50	125	गणित तथा जीवविज्ञान समूह			
8	बालक/कन्या कांकेर	50	50	100	गणित तथा जीवविज्ञान समूह			
9	बालक/कन्या कोरबा	50	50	100	गणित तथा जीवविज्ञान समूह			
10	बालक/कन्या जशपुर	50	50	100	गणित तथा जीवविज्ञान समूह			
11	बालक/कन्या रायगढ़	75	50	125	गणित तथा जीवविज्ञान समूह			
योग		800	605	1405				

(ब) मांग संख्या-64 एवं 66 अंतर्गत संचालित -

क्र.	प्रयास आवासीय विद्यालय जहाँ स्थित है	सीट संख्या (परिवर्तनशील)			कक्षा 11वीं एवं 12वीं में निम्नांकित विषय का अध्यापन विद्यालय में होगा	विद्यार्थी द्वारा कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययन हेतु विषय समूह का नाम लिखें	कक्षा 11वीं/12वीं में गणित समूह लेकर अध्ययन हेतु इच्छुक छात्र जो एन.डी.ए. की कोचिंग लेना चाहते हैं तो इस कॉलम में NDA अंकित करें	विद्यालय की प्राथमिकता क्रम (सर्वोच्च प्राथमिकता चयन वाले विद्यालय को क्रमांक 1 एवं इसके बाद के प्राथमिकता वाले को 2, 3 एवं इसी क्रम में अंक भरा जाये)
		बालक	कन्या	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अनु. जाति बालक पाटन, दुर्ग	125	0	125	गणित तथा जीवविज्ञान समूह			
2	अनु. जाति कन्या रायपुर	0	125	125	गणित तथा जीवविज्ञान समूह			
3	अन्य पिछड़ा बालक रायपुर	125	0	125	गणित तथा जीवविज्ञान समूह			
4	अन्य पिछड़ा कन्या बिलासपुर	0	125	125	गणित तथा जीवविज्ञान समूह			
योग		250	250	500				

12 परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तिथियाँ :-

क्र	विवरण	तिथि एवं समय
1	ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना प्रारंभ करने की तिथि	23/04/2024
2	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	17/05/2024 (रात्रि 12:00 बजे तक)
3	ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार	18/05/2024 से 20/05/2024 तक (रात्रि 12:00 बजे तक)
4	प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा की तिथि	09/06/2024 दिन रविवार (प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक)
5	ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु लिंक	https://eklavya.cg.nic.in/PRSMS/Student-Admission-Detail

13. महत्वपूर्ण निर्देश :-

(1) त्रुटि सुधार की अवधि समाप्त होने के पश्चात् आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं होगा। आवेदन पत्र में गलत जानकारी भरने पर विद्यार्थी और पालक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(2) आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी। आवेदन पत्र में जो जानकारी भरा गया है, वही सही माना जाएगा। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हेतु आवेदन मान्य नहीं होगा।

14. प्रवेश पत्र जारी किया जाना :- निर्धारित तिथि तक पंजीकृत एवं प्रावधिक रूप से पात्र पाए गए आवेदन पत्रों में से आवेदकों को चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ऑनलाईन माध्यम द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा प्रारंभ होने के 03 घंटे पहले तक डाउनलोड किया जा सकेगा। परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन हेतु किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा केन्द्र पर विद्यार्थी को अपने साथ आधार कार्ड/विद्यालय द्वारा जारी किया गया फोटो आईडी युक्त परिचय पत्र/शासकीय विभाग द्वारा जारी किया गया फोटो आईडी युक्त परिचय पत्र लाना होगा। विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए परिचय पत्र एवं प्रवेश पत्र का विवरण व फोटो का मिलान होने पर ही विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी। चयन/प्राक्चयन परीक्षा की तिथि में परिवर्तन या संशोधन होने पर इसकी सूचना समाचार पत्रों एवं विभागीय कार्यालयों के सूचना पटल से प्राप्त की जा सकेगी।

15. आवेदन पत्र एवं प्रवेश परीक्षा के संबंध में सहायता हेतु हेल्प डेस्क की व्यवस्था :- ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने, विद्यार्थी की पात्रता संबंधी जानकारी या परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी हेतु संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास में हेल्प डेस्क स्थापित रहेगा। हेल्प डेस्क के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

15.1 ऑनलाईन फॉर्म भरने में समस्या का निराकरण - ईमेल prayas.ctd@gmail.com पर समस्या दर्ज कराई जा सकती है।

9

16. प्राक्चयन परीक्षा पश्चात् सीलबंद लिफाफा एवं विद्यार्थियों की सूची का प्रेषण :- संबंधित जिले के सहायक आयुक्त द्वारा केन्द्रवार ओ.एम.आर. सीट का सीलबंद लिफाफा (एक प्रति) तथा परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों की सूची संलग्न प्रपत्र में दो प्रति में तैयार कर मुख्यालय द्वारा निर्देशित स्थान पर भेजना होगा। जिसमें एक प्रति में पावती दी जावेगी।

क्र.	विद्यार्थी का नाम	रोल नंबर	विद्यार्थी का हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर

केन्द्राध्यक्ष का हस्ताक्षर

17. प्रयास प्रवेश परीक्षा हेतु प्रावधिक परीक्षा परिणाम :- प्रयास विद्यालय में प्रवेश हेतु परीक्षा परिणाम वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा जिसे संबंधित जिले के सहायक आयुक्त कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकेगा। परीक्षा परिणाम ओ.एम.आर. सीट में भरे गए निर्देश के आधार पर तैयार होगा।

18. चयन सूची का प्रकाशन :- परीक्षा परिणाम जारी होने के एक सप्ताह पश्चात् वर्गवार मेरिट सूची विभागीय वेबसाईट <https://eklavya.cg.nic.in/PRSMS/Student-Admission-Detail> पर अपलोड की जावेगी। तदनुसार मेरिट क्रम में च्वाईस फिलिंग/काउंसिलिंगे पश्चात् प्रयास विद्यालयों में प्रवेश दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

19. उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु सम्पूर्ण कार्यवाही बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना संशोधित नियमावली-2020 तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय योजना नियमावली वर्ष 2022-23 अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

20. विवाद का निपटारा :- प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद होने पर संबंधित जिले के सहायक आयुक्त को प्रथम अपील की जावेगी। द्वितीय अपील राज्य स्तर आयुक्त, आदिवासी विकास तथा तृतीय अपील एवं अंतिम निर्णय सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर द्वारा किया जावेगा।


(जरेन्द्र कुमार दुग्गा)

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,

अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक / 140 / प्रयास / 2024-25 / 428 नवा रायपुर, दिनांक 16/04/2024

1. सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नवा रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.), कृपया अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों एवं क्षेत्र स्तर के विद्यालयों तक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
3. कलेक्टर, जिला-(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. वरिष्ठ निर्देशक (आई.टी.), NIC, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर। कृपया NIC द्वारा डेव्लप किये गये ऑनलाईन आवेदन फॉर्म के आधार पर आवेदन पंजीयन करने हेतु जारी किया जा रहा है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी किया गया प्रवेश नीति वर्ष 2024-25 संलग्न है। अनुरोध है कि राज्य, जिला एवं विद्यालय स्तर तक के लिए विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराते हुए फील्ड स्तर पर ऑनलाईन आवेदन में किसी भी प्रकार की तकनीकी दिक्कत आने पर तत्काल निराकरण कराने हेतु समर्पित डेव्लपर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ऑनलाईन आवेदन को <https://eklavya.cg.nic.in/PRSMS/Student-Admission-Detail> पर आज ही एक्टिवेट करें।
5. परियोजना प्रशासक एकीकृत, आदिवासी विकास, परियोजनाजिला..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला - (छ.ग.) को निर्देशित किया जाता है कि अपने जिला स्तर पर भी प्रचार-प्रसार करावें एवं स्कूलों तक सूचना मिजवाएं। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. प्रशासकीय अधिकारी, प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, जशपुर, कोरबा, बस्तर, कांकेर एवं रायगढ़ (छ.ग.)।


आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनान्तर्गत संचालित प्रयास बालक / कन्या आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र (2024-25) में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र (कृपया सभी जानकारी अंग्रेजी में भरे)

उपनाम का नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, लिंग, कक्षा 8वीं, पालिका, पिता का व्यवसाय, विद्यालय का नाम, ईमेल-आईडी

विद्यालय के कक्षा 8वीं में अध्यापक विद्यालय की जानकारी (विद्यालय का अनुसूचित क्षेत्र में होने संबंधी जानकारी हेतु), विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, विद्यालय का प्रकार, विद्यालय का स्तर, विद्यालय का प्रकार, विद्यालय का स्तर

क्या विद्यालय का विद्यालय LAC प्रभावित विद्ये के अंतर्गत आता है तो निचे का नाम, क्या विद्यालय का विद्यालय अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है, क्या विद्यालय का विद्यालय उपखण्ड क्षेत्र में आता है, क्या विद्यालय का परिवार मजबूत विद्या से पीड़ित है, क्या विद्यालय विधवा माता के पुत्र/पुत्री है, क्या विद्यालय के माता-पिता दिवंगत है, क्या विद्यालय के माता-पिता दिवंगत है, क्या विद्यालय के माता-पिता दिवंगत है, क्या विद्यालय के माता-पिता दिवंगत है

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज/अभिलेखों की सूची, चिकित्सा प्रमाण पत्र (मिला विकसित होई का), उच्चतम राज्य के निवासी होने का सक्षम राज्य अधिकांश द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, वर्ष 2023-25 में कक्षा 8वीं (उत्तीर्ण/परीक्षा में शामिल होने संबंधी प्रमाण पत्र), उच्चतम राज्य अधिकांश द्वारा जारी स्थाई नागरिक प्रमाण पत्र, प्रवेश नोटि के कठिना: 1 (1,2,3) अनुसूचित विद्यालय में अध्यापक होने का प्रमाण पत्र

फोटो (jpg & jpeg file), File size max 20KB, हस्ताक्षर का फोटो (jpg & jpeg file), File size max 20KB, your image, your signature

टीप:- सक्षम प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का अपावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

क्या विद्यालय का विद्यालय LAC प्रभावित विद्ये के अंतर्गत आता है तो निचे का नाम, क्या विद्यालय का विद्यालय अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है, क्या विद्यालय का विद्यालय उपखण्ड क्षेत्र में आता है, क्या विद्यालय का परिवार मजबूत विद्या से पीड़ित है, क्या विद्यालय विधवा माता के पुत्र/पुत्री है, क्या विद्यालय के माता-पिता दिवंगत है, क्या विद्यालय के माता-पिता दिवंगत है, क्या विद्यालय के माता-पिता दिवंगत है, क्या विद्यालय के माता-पिता दिवंगत है

आवेदन पत्र की पावती

आवेदन क्रमांक	F20240237400002	दिनांक	2024-03-22
विद्यार्थी का नाम	Mukesh Rajput	जन्म तारीख	2024-03-05
जन्म/वर्ग	अनुसूचित जाति	लिंग	पुरुष
पिता का नाम	AFODHYA	गावा का नाम	TRAMATI
संसाधन संख्या	5220489388	परिवार में कुल कुमि भूमि हे (एकड़ में)	2.80(एकड़)



Signature

कक्षा 8वीं	अध्ययनरत (48.56%)	पिता का व्यवसाय	श्रमदूरी
विद्यार्थी कक्षा 11 वीं & 12 वीं में कौन सा संकाय लेकर पढ़ाई करना चाहता है	नगिरा	दोसत-आईडी	mukeshsinghrajput725@gmail.com

विद्यार्थी के कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यालय की जानकारी (विद्यालय का अनुसूचित क्षेत्र में होने संबंधी जानकारी हेतु)

विद्यालय का नाम	asdasd	बिधा	BASTAR
विद्यालयसंकेत	GASTANUR	ग्राम संकाय	Bodekaktar
प्रान्त	BIRGAON RAIPUR	पिन कोड	492321
पता/विद्यार्थी का स्थायी पता	asdasd		

क्या विद्यार्थी का विद्यालय LMS कागजितविले के अंतर्गत आता है तो विले का नाम

क्या विद्यार्थी का विद्यालय अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है

क्या विद्यार्थी का विद्यालय उपरोक्तना क्षेत्र में आता है उपरोक्तना बिधा

उपरोक्तना बिधासंकेत उपरोक्तना ग्राम

क्या विद्यार्थी का परिवार पसलत दिशा ले पीटियन है

क्या विद्यार्थी विधवा माता के पुत्र/पुत्री है क्या विद्यार्थी के माता-पिता दिवंगत है

क्या विद्यार्थी के माता-पिता जीवित नहीं है? (अन्याथ) परिवारलता महिला के बच्चे

देव की रक्षा करते हुये या अपने कर्तव्य निर्वाहन करते समय पुलिस/असैनिक बल/समर बल/सहीद सैनिक के बच्चे

क्या विद्यार्थी दिवंगत है

विकसित प्रमाण पत्र (निसा विकसिता बोर्ड का) दस्तावेज संलग्न नहीं है एकीकृत राज्य के निवासी होने का सक्षम समस्त अधिकारी द्वारा जारी विकास प्रमाण पत्र दस्तावेज संलग्न नहीं है

वर्ष 2022-23 में कक्षा 8वीं उत्तीर्णपरीक्षा में शामिल होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/क द्वारा जारी प्रमाण पत्र दस्तावेज संलग्न है सक्षम समस्त अधिकारी द्वारा जारी स्थाई कति प्रमाण पत्र दस्तावेज संलग्न नहीं है

प्रवेश नीति के कठिना-3 (1,2,3) अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र दस्तावेज संलग्न नहीं है

यदि माता/अभिभावक सह पोषण करता/करती हैं की प्रमाण आयासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु जारी प्रवेश निपत्रवती तथा मुद्राबन्दी बात भविस्य सुरक्षा पोषणकार्य संसाधित करत भविस्य सुरक्षा प्रमाण आयासीय विद्यालय (संभविता) निपत्रवती वर्ष 2020 का अध्ययन कर लिखा है। मेरे द्वारा उक्त आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी सत्य है। पसलत जानकारी पाये जाने पर हमने द्वारा किया गया आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

Back Print this page

**वर्ष 2024-25 में प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु
प्रधानपाठक/प्राचार्य का सत्यापन**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी..... पिता.....
.....वर्तमान में विद्यालय के कक्षा 8वीं में वर्ष
2023-24 में अध्ययनरत है। यह विद्यालय ग्रामग्राम पंचायत.....
.....विकास खण्ड..... जिला.....में संचालित है।
विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र पर दी गई जानकारी सत्य एवं सही है।

प्राचार्य/प्रधानपाठक
का पदमुद्रा सहित
हस्ताक्षर

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज/अभिलेखों की सूची :-

क्रं.	अभिलेखों की सूची	संलग्न कर (सही का चिन्ह) अंकित करे
1	छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने का सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र।	
2	सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र	
3	वर्ष 2023-24 में कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण/परीक्षा में शामिल होने संबंधी प्रधान पाठक/प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र	
4	यदि परिवार नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित है तो इस आशय का संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र	
5	प्रवेश नीति के कंडिका-1 (1,2,3) अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र	

टीप:-सक्षम प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त/प्रयास विद्यालय में प्रवेश से वंचित किया जा सकेगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु अल्पसंख्यक वर्ग होने हेतु
शपथ-पत्र

(रूपये 10 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित हो)

1. मैंआत्मज श्री
...आयुनिवासी/पता.....शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं एवं
मेरे परिवार के सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक समुदाय अंतर्गत
(मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी, जैन) का सदस्य हूँ।
2. मैं अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के
तहत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं ले रहा/रही हूँ।
3. यदि उक्त तथ्य के संबंध में कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो शासन द्वारा मुझे संबंधित
योजना में स्वीकृत राशि एक मुश्त वसूली योग्य होगी एवं राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न
योजनाओं में अल्पसंख्यक वर्ग हेतु देय सुविधाओं से वंचित किया जा सकेगा। यह शपथ-पत्र मैं
स्वयं के लिए/परिवार के सदस्य (नाम/संबंध).....के लिए प्रस्तुत कर
रहा/रही हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(नाम-.....)

गवाह के हस्ताक्षर नाम/पता/नो. नं.

1

2.....

स्थान:

दिनांक:

15

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला- (छत्तीसगढ़)

क्रमांक / पु.अ. / / / 2023-24

दिनांक,

// नक्सल पीड़ित प्रमाण-पत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/कु.
आत्मज/आत्मजा..... ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला..... (छ.ग.) का निवासी है। आवेदक/आवेदिका
के पिता/माता/भाई/बहन (नाम) का नक्सलियों द्वारा दिनांक
को (घटना का नाम)..... के रूप में पीड़ित किया गया है। उक्त घटना के
संबंध में थाना जिला..... में अपराध क्र. धारा
..... के अंतर्गत प्रकरण पजीबद्ध है।

आवेदक/आवेदिका श्री/कु. जो पीड़ित श्री/श्रीमती से
संबंध (रिश्ता) है। अतः नक्सल पीड़ित होने से यह प्रमाण-पत्र प्रदाय
किया जाता है।

हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

पुलिस अधीक्षक
जिला.....

1. छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र:-

क्र.	जिला	जिला कोड	विकासखण्ड का नाम
1	कोरिया	10	संपूर्ण जिला
2	सूरजपुर	11	संपूर्ण जिला
3	सरगुजा	12	संपूर्ण जिला
4	जशपुर	13	संपूर्ण जिला
5	बलरामपुर	14	संपूर्ण जिला
6	कांकेर	15	संपूर्ण जिला
7	जगदलपुर	16	संपूर्ण जिला
8	नारायणपुर	17	संपूर्ण जिला
9	बीजापुर	18	संपूर्ण जिला
10	दंतवाड़ा	19	संपूर्ण जिला
11	सुकमा	20	संपूर्ण जिला
12	कोण्डागांव	21	संपूर्ण जिला
13	मोहला-मानपुर-चौकी	34	संपूर्ण जिला
14	गरियाबंद	24	संपूर्ण जिला
15	कोरबा	28	संपूर्ण जिला
16	गोरेला-पेण्ड्रा-भरवाही	29	संपूर्ण जिला
17	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	38	संपूर्ण जिला
18	बालोद	25	झीण्डी (संपूर्ण विकासखण्ड), (बालोद, गुरूर, झीण्डीलाहारा का यह ग्राम जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है की सूची देखें अथवा जिले के सहायक आयुक्त / परियोजना प्रशासक कार्यालय से संपर्क करें)
19	धमतरी	26	नगरी विकासखण्ड के संपूर्ण ग्राम
20	बिलासपुर	30	(कोटा, बिल्वा, भरतपुर, तखतपुर विकासखण्ड का वह ग्राम जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है की सूची देखें अथवा जिले के सहायक आयुक्त / परियोजना प्रशासक कार्यालय से संपर्क करें)
21	रायगढ़	31	(धरधोड़ा, तैलुंगा, तमनार, खरसिया, धरमजयगढ़) संपूर्ण विकासखण्ड

-सही-

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

इंद्रावती भवन, नवा रायपुर

17

कार्यालय कलेक्टर, (आदिवासी विकास शाखा) बालोद छ.ग.-

Fax- 07749-223915 Email-id actwd.balod@gmail.com

॥ ज्ञापन ॥

क्रमांक/ 1375 /आ.जा.क./सा.स्था./2022

बालोद, दिनांक 19-12-2022

प्रति,

आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग,
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विषय :- जिले के उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों की जानकारी भेजने बाबत।

संदर्भ :- आपका कार्यालय पत्र क्र०/प्रयास/टी-2022-23/10113 नवा रायपुर दिनांक
16.12.2022

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि प्रयास आवासिय विद्यालयों में विद्यार्थियों के वर्ष 2023-24 में प्रवेश हेतु आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्रामों की चाही गई सूची संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।

संलग्न :-

for सहस्रक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
जिला-बालोद(छ.ग.)
19-12-22

—11—

कार्यालय परिवोजना प्रशासक, पुष्किकृत आदिवासी विकास परिवोजना डोंडीलोहारा

जिला- बालोद - (छत्तीसगढ़)

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र डोंडीलोहारा के ग्रामों की आधारभूत जानकारी

जनगणना वर्ष 2011

क्र	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का	स्थानीय	घट	क्षेत्रफल	कुल	अ.ज.जा.			प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							योग	पुरुष	महिला	
ही (विकास खण्ड डोंडीलोहारा)										
1	महराजपुर	महराजपुर	1182700		4.082	924	675	326	349	73.05%
2	मुडखुसरा	महराजपुर	3100		3.09	691	257	121	136	37.19%
3	गिधवा	गिधवा	2900		3.824	987	196	92	104	19.86%
4	कोलियारा	गिधवा	3000		2.101	411	183	93	90	44.53%
5	पिनकापार	पिनकापार	2800		6.123	1934	609	300	309	31.49%
6	मुजगहन	मुजगहन	3300		3.551	996	250	119	131	25.10%
7	सिराभाटा	मुजगहन	3200		2.765	817	352	174	178	43.08%
8	वेन्दरीबन नवागाव	वेन्दरीबन नवागाव	3400		5.822	1780	350	181	169	19.66%
9	बोडरडीह	रानीतराई (रोड)	3500		2.597	762	469	239	230	61.55%
10	भरदा (ट)	भरदा	1183900		3.07	1228	6	3	3	0.49%
11	कसही	टटेगा	4000		1.509	444	0	0	0	0.00%
12	पीपरखार	पीपरखार	4800		4.723	746	433	198	235	58.04%
13	खपरमाठ	पीपरखार	4900		3.563	1055	663	326	337	62.84%
14	संबलपुर	संबलपुर	5400		4.717	1193	278	138	140	23.30%
15	कन्याडबरी	संबलपुर	5300		4.84	726	311	150	161	42.84%
16	खामतराई	खामतराई	5200		6.151	1799	206	102	104	11.45%
17	खामभाठ	खामतराई	5100		4.81	621	392	186	206	63.12%
18	फुलसुन्दरी	खामतराई	5000		2.881	665	145	77	68	21.80%
19	कुआंगाव	कुआंगाव	5600		3.228	955	699	344	355	73.19%
20	गणेशखपरी	कुआंगाव	5500		3.67	909	117	49	68	12.87%
21	मनकी	मनकी	5700		3.2448	947	128	63	65	13.52%
22	साव्हे	मनकी	5800		1.517	741	175	85	90	23.62%
23	राघोनवागाव	राघोनवागाव	5900		3.15	1076	935	447	488	86.90%
24	रीवांगहन	राघोनवागाव	6000		5.98	1126	397	193	204	35.26%
25	गहिरा नवागाव	गहिरा नवागाव	6400		4.52	1700	1133	570	563	66.65%
26	मारी	मारी	6300		4.34	1673	899	440	459	53.74%
27	खैरा	मारी	6500		2.529	669	44	25	19	6.58%
28	देवरी	देवरी	6200		3.38	2340	739	366	373	31.58%
29	पिनकापार (ओटे)	सिगापुर	1190400		2.015	337	100	43	57	29.67%
30	भालूकोन्हा	भालूकोन्हा	600		4.139	747	155	73	82	20.75%
31	कठिवा	भालूकोन्हा	700		3.785	643	392	185	207	60.96%
32	भूरकामाट	भूरकामाट	1000		2.445	839	544	259	285	64.84%
33	मनकी (क)	मनकी	800		3.952	825	317	154	163	38.42%

क्र.	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का	स्थानीय	पट	क्षेत्रफल	कुल	अ.ज.जा.			प्रतिशत
							योग	पुरुष	महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	तेलीटोला	मनकी	900		1 752	385	193	104	89	50 13%
35	कैवट नवागाव	कैवट नवागाव	1189400		5 867	1527	282	134	148	18 47%
36	सुरेगाव	सुरेगाव	9600		7 85	1665	317	171	146	19 04%
37	झिटिया	झिटिया	1190100		5 97	1377	607	300	307	44 08%
38	परसाडीह (सु)	परसाडीह	1189500		6 627	1533	397	196	201	25 90%
39	फरदफोड़	फरदफोड़	1190000		8 539	2581	1001	460	541	38 78%
40	मण्डेरा	मण्डेरा	1189900		9 21	2456	574	281	293	23 37%
41	पसौद	पसौद	9700		2 932	1499	127	65	62	8 47%
42	परसुली	परसुली	9800		3 862	1641	176	82	94	10 73%
43	मुदिया	मुदिया	9100		6 191	1363	694	341	353	50 92%
44	हथौद	मुदिया	9000		5 444	1081	661	315	346	61 15%
45	भेडी (सु)	भेडी (सु)	9200		6 614	1530	1163	590	573	76 01%
46	अहिबरन नवागाव	अहिबरन नवागाव	1191500		3 479	1091	847	415	432	77 64%
47	गडाईनडीह	अहिबरन नवागाव	1400		2 888	548	515	251	264	93 98%
48	घीना	घीना	1300		8 949	1679	849	442	407	50 57%
49	कसहीकला	कसहीकला	119700		4 906	1109	104	51	53	9 38%
50	डैंगरापार	कसहीकला	1600		4 347	509	302	152	150	59 33%
51	पापरा	पापरा	2000		5 844	1353	278	133	145	20 55%
52	बुन्देली	बुन्देली	2100		2 225	883	463	219	244	52 43%
53	फरदडीह	बुन्देली	2200		3 775	716	344	169	175	48 04%
54	मुड़खुसरा	मुड़खुसरा	1900		7 079	1963	1388	693	695	70 71%
55	भीमकन्हार	भीमकन्हार	1189300		6 927	2018	1202	576	626	59 56%
						63813	25033	12261	12772	
गरा (विकास खंड- डौण्डीलोहारा)										
1	खेरथाबाजार	खेरथाबाजार	6900		3 24	1574	306	128	178	19 44%
2	सिरपुर	खेरथाबाजार	7100		1 278	399	78	43	35	19 55%
3	मरनामाठ	मरनामाठ	6700		2 288	895	31	13	18	3 46%
4	आलीबारा	मरनामाठ	6800		2 891	731	587	277	310	80 30%
5	डुमरधुंचा	मरनामाठ	6600		1 237	346	28	12	16	8 09%
6	रानाखुज्जी	रानाखुज्जी	7300		4 999	1149	740	365	375	64 40%
7	मड़वापथरा	रानाखुज्जी	7400		3 46	518	487	243	244	94 02%
8	आतरगाव	आतरगाव	7000		2 891	1086	711	343	368	65 47%
9	आसरा	आतरगाव	7200		1 412	639	142	70	72	22 22%
10	अछोली	अछोली	8100		3 708	1792	563	281	282	31 42%
11	गारका	गारका	8600		5 068	1294	664	333	331	51 31%
12	आलीखुटा	आलीखुटा	8500		2 898	674	391	199	192	58 01%
13	रीवागहन	आलीखुटा	8400		1 431	470	451	207	244	95 96%
14	परसाडीह (ज)	परसाडीह	8700		3 689	1056	875	418	457	82 86%
15	खेरीडीह	परसाडीह	8800		1 788	687	375	192	183	54 59%

क्र.	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का	स्थानीय	पट.	क्षेत्रफल	कुल	व.ज.जा.		प्रतिशत	
							योग	पुरुष		महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	कोसमी	परसाडीह	8900		5.184	1021	378	166	212	37.02%
17	कापसी	कापसी	8200		3.265	1401	565	288	277	40.33%
18	संजारी	संजारी	7800		6.97	2832	1286	627	659	45.41%
19	बेन्दरघुवा	संजारी	7600		1.211	166	80	33	47	48.19%
20	गंजईडीह	गंजईडीह	8000		1.431	1016	660	336	324	64.96%
21	बरापारा	गंजईडीह	7900		1.437	287	25	12	13	8.71%
22	धुमादाह	गंजईडीह	7700		1.795	148	127	73	54	85.81%
23	सहगाव	गंजईडीह	विराम	विराम	विराम	0	0	0	0	
24	सोरली	सोरली	1188300	11	7.67	2047	588	283	305	28.72%
25	कोटेरा	कोटेरा	1194700		1389	2222	1505	706	799	67.73%
26	अण्डी	अण्डी	4100		5.03	1820	677	315	362	37.20%
27	संबलपुर (लो.)	संबलपुर	4300		7.769	3108	877	435	442	28.22%
28	सेम्हरडीह	सेम्हरडीह	4400		3.03	933	643	316	327	68.92%
29	रायपुरा	सेम्हरडीह	4200		3.572	777	230	110	120	29.60%
30	बिजोरा	बिजोरा	4000		3.278	870	659	333	326	75.75%
31	नारगी	बिजोरा	3700		2.107	586	429	219	210	73.21%
32	ढारागाव	बिजोरा	3500		2.037	690	312	152	160	45.22%
33	कोचेरा	कोचेरा	2500		5.914	1637	906	443	463	55.35%
34	कोबा	कोबा	2400		3.104	1001	238	109	129	23.78%
35	दुबचेरा	कोबा	2700		3.256	919	338	170	168	36.78%
36	खैरा	खैरा	2600		3.282	983	643	310	333	65.41%
37	कुम्हालोरी	खैरा	2300		2.844	845	106	51	55	12.54%
38	खपरी	खपरी	3000		2.775	1166	176	85	91	15.09%
39	बनगाव	खपरी	3200		2.919	659	473	237	236	71.78%
40	दुधली	दुधली	3100		3.766	1976	531	269	262	26.87%
41	कलकसा	दुधली	2800		6.812	374	114	56	58	30.48%
42	रैगनी	रैगनी	1202700		4.258	1142	944	455	489	82.66%
43	रैघई	रैगनी	2800		2.173	734	583	295	288	79.43%
44	खरथुली	खरथुली	1193400		4.143	1318	766	381	385	58.12%
45	देवरी	खरथुली	3600		1.382	399	267	131	136	66.92%
46	पारी	खरथुली	3800		1.122	322	112	52	60	34.78%
47	चिल्हाटीकला	चिल्हाटीकला	1202300		4.309	1364	586	294	292	42.96%
48	बडगाव	बडगाव	1193900		6.933	2093	430	198	232	20.54%
49	खडेनाडीह	बडगाव	3300		0.510	191	29	13	16	15.18%
50	भेडी (लो.)	भेडी	4500		2.617	1573	606	310	296	38.53%
51	धनगाव	धनगाव	4800		7.649	1796	991	472	519	55.18%
52	कसही (लो.)	कसही	1201700		4.364	1046	507	257	250	48.47%
53	उरटा	कसही	1600		1.804	680	565	272	293	83.09%
54	सिवनी	सिवनी	2200		3.964	773	320	157	163	41.40%
55	भालकोन्हा	सिवनी	2100		6.99	563	417	208	209	74.07%

क्र.	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का	स्थानीय	पट.	क्षेत्रफल	कुल	अ.प.जा.			प्रतिशत
							योग	पुरुष	महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	कामता	सिवनी	1800		2.55	575	187	100	87	32.52%
57	बटेरा	बटेरा	2000		2.466	702	349	169	180	49.72%
58	जोगीमाठ	बटेरा	1900		2.45	522	182	79	103	34.87%
59	भरदा (लो)	भरदा	1202600		2.898	1109	602	287	315	54.28%
60	बेहाकुआँ	बेहाकुआँ	2500		3.28	807	484	234	250	59.98%
61	धिल्लाटीखुर्द	बेहाकुआँ	2400		2.627	610	319	157	162	52.30%
62	कोरगुडा	कोरगुडा	1192900		4.723	1951	289	144	145	14.81%
63	गैजी	गैजी	1203000		6.594	1182	591	285	306	50.00%
64	जाटादाह	जाटादाह	3100		9.4	1094	791	371	420	72.30%
65	सहगाँव	जाटादाह	3600		5.67	998	647	311	336	64.83%
66	बोईरडीह	जाटादाह	3400		3.29	53	0	0	0	0.00%
67	बगईकोन्हा	बगईकोन्हा	1195200		5.378	1243	735	358	377	59.13%
68	गुरामी	बगईकोन्हा	5000		3.849	580	315	146	169	54.31%
69	करियागौदी	बगईकोन्हा	4900		5.559	91	34	15	19	37.36%
70	मडियाकट्टा	मडियाकट्टा	5400		7.718	807	636	312	324	78.81%
71	घोरदा	मडियाकट्टा	5100		5.825	57	57	30	27	100.00%
72	मुण्डाटोला	मडियाकट्टा	5500		5.04	119	106	53	53	89.08%
73	राहटा	मडियाकट्टा	5600		2.5	90	56	30	26	62.22%
74	भीमपुरी	भीमपुरी	1196200		6.38	968	567	280	287	58.57%
75	दुमीटोला	भीमपुरी	5900		3.19	331	253	160	93	76.44%
76	बंजारी	भीमपुरी	6100		4.8331	609	357	192	165	58.62%
77	खैरकट्टा	खैरकट्टा	5800		3.227	635	454	212	242	71.50%
78	पुनारकसा	खैरकट्टा	6000		3.828	582	422	201	221	72.51%
79	अर्जुनी	खैरकट्टा	5700		1.817	234	220	102	118	94.02%
80	चितमगोटा	चितमगोटा	6400		8.597	1348	1039	486	553	77.08%
81	टण्डकुडेल	चितमगोटा	6500		0.64	83	62	34	28	74.70%
82	रैगाडबरी	रैगाडबरी	6800		8.0445	1668	718	345	373	43.05%
83	भीमाटोला	भीमाटोला	6700		4.226	570	319	158	161	55.96%
84	अन्नूटोला	भीमाटोला	6300		2.7	692	381	178	203	55.06%
85	नगूटोला	भीमाटोला	6600		3.39	546	345	162	183	63.19%
86	जुन्नापानी	जुन्नापानी	7100		6.1	901	378	180	198	41.95%
87	जराडीह	जुन्नापानी	7000		1.75	251	102	57	45	40.64%
88	डुमाटोला	जुन्नापानी	7200		2.9	536	456	203	253	85.07%
89	मंगचुवा	मंगचुवा	7600		4.486	1244	803	382	421	64.55%
90	तुरमुडा	तुरमुडा	8000		4.196	942	373	193	180	39.60%
91	मुन्टोरी	तुरमुडा	8100		4.000	677	582	288	294	85.97%
92	करतूटोला	करतूटोला	1197900		6.842	989	789	409	380	79.78%
93	मरसकोला	करतूटोला	8200		5.576	991	718	350	368	72.45%
94	दल्ली	दल्ली	7300		2.323	640	357	172	185	55.78%
95	बजारीडीह	दल्ली	7400		0.597	22	7	2	5	31.82%

क्र.	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का	स्थानीय	पट.	क्षेत्रफल	कुल	अ.ज.जा.			प्रतिशत
							योग	पुरुष	महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	हुच्चेटोला	दल्ली	7700		2.9	311	199	96	103	63.99%
97	कुदारी	दल्ली	6900		2.58	246	199	96	103	80.89%
98	भरीटोला	दल्ली	7500		2.16	499	425	166	159	65.13%
99	करंगांव	करंगांव	7800		12.538	1991	1660	834	826	83.38%
100	कमकापार	कमकापार	8300		7.32	1315	902	439	463	68.59%
101	टेकापार	कमकापार	8500		4.645	681	626	300	326	91.92%
102	कुरुमाठ	कमकापार	8400		2.5	191	160	76	84	83.77%
103	हितापठार	हितापठार	9100		5.3337	867	776	430	346	89.50%
104	पिडियाल	हितापठार	8800		2.728	613	562	272	290	91.68%
105	मुड़पार	हितापठार	8900		2.323	312	297	135	162	95.19%
106	तुमडीकसा	तुमडीकसा	8600		2.363	706	439	223	216	62.18%
107	लमती	तुमडीकसा	9000		5.249	590	538	268	270	91.19%
108	तुणगोदी	तुमडीकसा	8700		10.117	174	156	79	77	89.66%
109	बडाजुंगेरा	बडाजुंगेरा	1200000		6.03	1172	1064	486	578	90.78%
110	रूपटोला	बडाजुंगेरा	1200200		2.07	281	174	76	98	61.92%
111	कोडेकसा	कोडेकसा	1200300		5.838	1074	849	415	434	79.05%
112	झीकाटोला	कोडेकसा	1200500		4.583	524	483	228	255	92.18%
113	पीपरखार	पीपरखार	120700		12.21	889	718	373	345	80.76%
114	खडबत्तर	पीपरखार	400		3.898	576	543	248	295	94.27%
115	दुटामारदी	पीपरखार	600		5.042	436	427	195	232	97.94%
116	चिखली	चिखली	1199900		3.64	662	620	300	320	93.66%
117	केरीजुंगेरा	चिखली	9800		2.169	536	357	167	190	66.60%
118	बरडीह	चिखली	1200100		5	197	92	46	46	46.70%
119	भंवरमरा	भंवरमरा	1199500		8.57	1829	1273	648	625	69.60%
120	माटरी	भंवरमरा	1199600		2.907	306	204	96	108	66.67%
121	रावगढ़	भंवरमरा	1199700		2.456	370	271	136	135	73.24%
122	अरजपुरी	अरजपुरी	1199200		10.38	1810	1193	561	632	65.91%
123	पुतरगोदी	अरजपुरी	विरान	विरान	विरान	विरान	0	0	0	
124	मानूलगोदी	अरजपुरी	विरान	विरान	विरान	विरान	0	0	0	
125	खोलझर	खोलझर	1200900		3.928	715	463	234	229	64.76%
126	नलपानी	खोलझर	1201000		5.214	407	335	179	156	82.31%
127	बुल्लुटोला	खोलझर	1201300		3.246	400	343	165	178	85.75%
128	पिगाल	पिगाल	1201100		8.713	642	574	293	281	89.41%
129	भीमदो	पिगाल	1201400		5.114	555	444	222	222	80.00%
130	तुरकाझर	पिगाल	1201500		1.858	265	254	125	129	95.85%
131	किल्लेकोडा	किल्लेकोडा	1200800		8.92	1303	1046	518	528	80.28%
132	बघमार	किल्लेकोडा	1201200		4.18	97	85	43	42	87.63%
133	झरनटोला	झरनटोला	1203200		2.03	548	497	248	249	90.69%
134	भरकामटोला	झरनटोला	1203500		4.43	609	547	269	278	89.82%
135	साह्लटोला	झरनटोला	1203700		2.116	110	106	55	51	96.36%
136	कोलियारी खुद	झरनटोला	विरान	विरान	विरान	0	0	0	0	

क्र.	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का	स्थानीय	पट.	क्षेत्रफल	कुल	अ.ज.जा.		प्रतिशत	
							योग	पुरुष		महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	डौ.लोहारा	नगरपंचायत			5 927	6045	1522	733	789	25 18%
			योग :-			115691	63523	31053	32470	
लोहारा (विकास खंड- डौण्डी)										
1	भरीटोला	भरीटोला	124100		3.079	816	692	334	358	84.80%
2	जूनवानी	भरीटोला	4200		2.521	378	367	170	197	97.09%
3	रजही	रजही	4500		3.145	688	603	299	304	87.65%
4	देवपाण्डुम	रजही	4400		6.759	89	89	45	44	100.00%
5	ककरेल	रजही	4300		4.333	664	112	291	321	92.17%
6	चिपरा	चिपरा	4000		8.353	1864	1499	727	772	80.42%
7	धुरवाटोला	धुरवाटोला	3900		2.798	830	671	322	349	80.84%
8	शिकारीटोला	धुरवाटोला	3800		3.112	730	597	299	298	81.78%
9	सुवरबोड	सुवरबोड	3700		6.138	1006	675	332	343	67.10%
10	बकलीटोला	सुवरबोड	3500		2.844	711	440	231	209	61.88%
11	गिधाली	सुवरबोड	3600		4.856	720	383	205	178	53.19%
12	भैसबोड	भैसबोड	4100		6.365	1906	1224	596	628	64.22%
13	दानीटोला	दानीटोला	3000		1.736	614	470	221	249	76.55%
14	बनगाव	दानीटोला	2900		1.811	236	201	95	106	85.17%
15	बोरिद	दानीटोला	3100		4.999	866	619	284	335	71.48%
16	गुजरा	गुजरा	3200		6.797	1617	1156	581	575	71.49%
17	खल्लारी	खल्लारी	3300		9.245	2571	754	378	376	29.33%
18	अड़जाल	अड़जाल	6100		6.427	1158	965	488	477	83.33%
19	जमही	अड़जाल	6000		2.853	144	127	67	60	88.19%
20	कुसुमकसा	कुसुमकसा	4600		7.605	4457	2385	1137	1248	53.51%
21	अरमुरकसा	अरमुरकसा	4700		4.148	1317	1066	486	580	80.94%
22	पथराटोला	पथराटोला	5900		2.979	969	857	406	451	88.44%
23	खम्हारटोला	पथराटोला	5700		2.149	964	511	252	259	53.01%
24	बिटाल	बिटाल	5400		3.809	924	553	280	273	59.85%
25	हितेकसा	बिटाल	5600		2.445	235	191	92	99	81.28%
26	जाबुडवाही	बिटाल	5100		1.584	520	512	234	278	98.46%
27	घोबेदण्ड	घोबेदण्ड	5300		5.268	1417	1088	528	560	76.78%
28	कोम्डेकसा	घोबेदण्ड	5500		2.934	301	264	132	132	87.71%
29	डीकाटोला	घोबेदण्ड	5200		3.568	198	152	85	67	76.77%
30	धिखलाकसा	नगरपंचायत	4101200		9.13	6160	2181	1053	1128	35.41%
31	अरनदल्ली	नगरपंचायत			4.144					
32	घोबनी	घोबनी	121990		2.228	497	230	107	123	46.28%
33	कुरुभाठ	घोबनी	4800		1.727	330	272	144	128	82.42%
34	पुलतरवाही	घोबनी	5000		4.688	844	808	392	416	95.73%

क्र.	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का	स्थानीय	पट.	क्षेत्रफल	कुल	अ.ज.जा.			प्रतिशत
							योग	पुरुष	महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	टेकाढोडा	टेकाढोडा	6300		9.417	962	845	443	402	87.84%
36	कोकान	टेकाढोडा	6200		4.812	233	206	110	96	88.41%
37	सिंगनवाही	सिंगनवाही	2800		9.802	2024	1263	606	657	62.40%
38	साल्हे	साल्हे	6800		4.095	1465	766	403	363	52.29%
39	धोतिमटोला	साल्हे	6700		3.856	1044	937	447	490	89.75%
40	जमरुवा	साल्हे	6600		3.489	190	122	55	67	64.21%
41	चिखली	चिखली	6500		7.027	1838	1052	526	526	57.24%
42	गोटलगुण्डा	चिखली	6400		2.84	471	161	82	79	34.18%
43	नरटोला	नरटोला	9000		6.115	1688	1177	599	578	69.73%
44	खैरवाही	खैरवाही	8900		5.537	1259	883	413	470	70.14%
45	आडेझर	आडेझर	8600		5.365	896	807	369	438	90.07%
46	मलकुवर	आडेझर	9100		5.012	668	608	292	316	91.02%
47	कुमुडकट्टा	कुमुडकट्टा	9700		5.358	1658	938	449	489	56.57%
48	नलकसा	नलकसा	9400		13.562	864	649	313	336	75.12%
49	तुण्णोदी	नलकसा	9300		2.825	241	162	87	75	67.22%
50	कोपडेसा	नलकसा	1600		7.873	162	644	320	324	397.53%
51	हिडकापार	नलकसा	9500		3.663	96	64	32	32	66.67%
52	कोटागांव	कोटागांव	92000		11.125	1967	1527	755	772	77.63%
53	सल्हईटोला	सल्हईटोला	122000		6.711	1438	1282	635	647	89.15%
54	अकोला	सल्हईटोला	1219800		3.288	253	216	99	117	85.38%
55	कामता	कामता	8800		4.216	1287	1106	552	554	85.94%
56	आंवरटोला	कामता	8700		3.225	377	190	117	73	50.40%
57	बोरगांव	बोरगांव	1218300		3.971	994	847	417	430	85.21%
58	मीमाटोला	बोरगांव	8400		9.207	229	136	67	69	59.39%
59	होदेकसा	बोरगांव	8500		1.486	266	173	86	87	65.04%
60	घोबनी (ब)	घोबनी (ब)	2600		2.663	497	230	107	123	46.28%
61	पण्डेत	घोबनी (ब)	2700		0.809	805	306	147	159	38.01%
62	वन पण्डेत	घोबनी (ब)	ou& xzke		1.59	241	198	97	101	82.16%
63	घोठिया	घोठिया	2500		5.237	2268	988	430	558	43.56%
64	पचेडा	पचेडा	7000		3.935	1498	812	372	440	54.21%
65	पटेती	पटेती	7100		4.408	1561	752	364	388	48.17%
66	मडियाकट्टा	पटेती	7300		6.488	715	540	278	262	75.52%
67	पेण्डी	पेण्डी	7200		2.355	804	417	226	191	51.87%
68	ओडगाव	पेण्डी	6900		4.138	471	402	177	225	85.35%
69	टेमावजुर्ग	टेमावजुर्ग	8100		6.127	1094	518	288	230	47.35%
70	टमाखुर्द	टेमावजुर्ग	8200		2.016	511	302	146	156	59.10%
71	गंगोलीडीह	टेमावजुर्ग	1221800		1.151	218	171	82	89	78.44%

क्र.	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का	स्थानीय	घट.	क्षेत्रफल	कुल	अ.ज.जा.		प्रतिशत	
							योग	पुरुष		महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	घोरदा	टेमाबुजुंग	1900		2 800.	119	114	52	62	95.80%
73	कुआंगोदी	कुआंगोदी	2000		7 481	1662	923	445	478	55.54%
74	कांडे	कांडे	2500		5 869	1168	397	191	206	33.99%
75	अवारी	अवारी	2700		6 619	1829	986	476	510	53.91%
76	छिन्दगाव	छिन्दगाव	2600		5 601	1469	651	304	347	44.32%
77	बम्हनी	बम्हनी	3000		11.57	717	653	321	332	91.07%
78	कटरेत	बम्हनी	9000		5 401	130	129	61	68	99.23%
79	कुसुमटोला	बम्हनी	8000		3 635	929	830	382	448	89.34%
80	भरकाटोला	भरकाटोला	9000		6 651	1453	1059	512	547	72.88%
81	पेवारी	भरकाटोला	8000		4 274	456	415	201	214	91.01%
82	गुदूम	गुदूम	4000		4 822	1686	1503	710	793	89.15%
83	पुसावड	पुसावड	1100		3 900.	1114	990	483	507	88.87%
84	पेटेबुवा	पुसावड	1200		1 626	290	265	120	145	91.38%
85	नरालगुडा	पुसावड	1000		2 235	535	414	196	218	77.38%
86	रजोलीखीह	पुसावड	1300		0 936	108	104	50	54	96.30%
87	रजोलीखीह(वनग्राम)	पुसावड	4100		1 538	151	146	77	69	96.69%
88	भरदेल	भरदेल	1600		1 691	300	299	156	143	99.67%
89	तुमडीसूर	भरदेल	1500		3 094	345	324	149	175	93.91%
90	भगरदाह	भरदेल	1400		1 835	328	313	150	163	95.43%
91	जबकसा	भरदेल	1700		1 822	273	264	123	141	96.70%
92	लिमउडीह	लिमउडीह	2200		6 083	1175	866	414	452	73.70%
93	खुसीटिकुर	लिमउडीह	2500		3 944	620	480	232	248	77.42%
94	भरकाटोला	भरकाटोला उर्फ	2100		9 035	1592	829	405	424	52.07%
95	कुंजकन्हार	कुंजकन्हार	1217500		2 93	592	449	228	221	75.84%
96	उरडे	कुंजकन्हार	7400		5 405	834	578	280	298	69.30%
97	कुरूओला	कुंजकन्हार	7700		5 433	822	646	308	338	78.59%
98	भरीटोला (36)	भरीटोला (36)	7800		2 926	1199	640	324	316	53.38%
99	दोरीटेमा	दोरीटेमा	7600		4 074	1062	478	205	273	45.01%
100	मथेना	मथेना	1222800		4 98	816	498	239	259	61.03%
101	पुतरवाही	मथेना	2700		0 704	80	79	43	36	98.75%
102	किशनपुरी	मथेना	2900		2 735	337	238	121	117	70.62%
103	सिधोला	सिधोला	2400		4 81	1081	893	418	475	82.61%
104	आमाबाहरा	सिधोला	3700		2 115	290	270	133	137	93.10%
105	बेलोदा	बेलोदा	2300		8 335	1659	1072	505	567	64.62%
106	भरामखेडा	बेलोदा	3900		0 933	217	200	93	107	92.17%
107	केशोपुर (वनग्राम)	बेलोदा	3800		0 971	221	213	108	105	96.38%
108	भगलतराई	भगलतराई	2600		6 308	887	548	279	269	61.78%
109	परकालकसा	भगलतराई	4000		0 83	174	167	85	82	95.98%

क्र.	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का	स्थानीय	पट.	क्षेत्रफल	कुल	अ.ज.जा.	योग	पुरुष	महिला	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
110	सुसीटिकुर	मगततराई	2500		2.826	388	317	151	166	81.70%	
111	आमाडुता	आमाडुता	3100		6.73	1515	1063	485	578	70.17%	
112	चिहरो	चिहरो	3000		6.846	984	872	434	438	88.62%	
113	काकडकसा	चिहरो	3300		5.00	557	521	219	282	93.54%	
114	साल्हे	चिहरो	3200		0.946	189	150	74	76	79.37%	
115	डोण्डी	नगरपंचायत डोण्डी	1220100		10.18	8042	3903	1921	1982	48.53%	
116	उकारी	नगरपंचायत डोण्डी			3.92		0				
117	राजहरा	नगरपालिका राजहरा	4101200			44363	7588	3845	3743	17.10%	
118	करियाटोला	शिकारीटोला केसाथ					0				
		योग :-			507.616,	154752	79948	39009	40939		
साद (विकास खंड बालाद)											
1	परसदा	परसदा	12038		5.183	1476	785	372	413	53.18%	
2	दरबारी नवागाव	दरबारी नवागाव	12042		3.473	1039	638	296	342	61.41%	
3	डंगरापार	दरबारी नवागाव	12043		4.07	1001	746	355	391	74.53%	
4	घोरामाटा	धुमका	12046		1.946	594	475	229	246	79.97%	
5	खेरथाडीह	खेरथाडीह	12050		2.541	586	322	158	164	54.95%	
6	अमलाडीह	खेरथाडीह			234.25	536	476	255	221	88.81%	
7	रेवती नवागाव	कांहाटोला	12058		2.06	907	428	209	219	47.19%	
8	देवी नवागाव	देवी नवागाव	12041		3.123	1165	291	142	149	24.98%	
9	खैरवाही	पाण्डी	12066		1.871	766	425	201	224	55.48%	
10	पाण्डी	पाण्डी	12067		3.494	1108	515	253	262	46.48%	
11	माटिया (बी)	माटिया (बी)	12117		1.919	786	169	77	92	21.50%	
12	सम्हरकोना	माटिया (बी)	12115		1.968	683	372	173	199	54.47%	
13	साल्हेटोला	माटिया (बी)	12116		1.557	394	260	111	149	65.99%	
14	बोडकी	बोडकी	12079		811	829	486	244	242	58.62%	
15	माटिया नवागाव	भे.नवागाव	12080		4.011	1708	1238	607	631	72.48%	
16	गोडरी	अमोरा	12087		1.978	658	482	235	247	73.25%	
17	अमोरा	अमोरा	12088		2.432	915	567	278	289	61.97%	
18	लिमोरा	लिमोरा	12089		6.090	1931	1062	508	554	55.00%	
19	देउरतराई	सिवनी	12105		1.209	583	266	120	146	45.63%	
20	देवारमाट	देवारमाट	12106		7.324	1917	1211	595	616	63.17%	
21	दरीटोला	परंगुडा	12113		1.389	236	155	74	81	65.68%	
22	परंगुडा	परंगुडा	12093		4.821	746	312	150	162	41.82%	
23	नरा	नरा	12118		5.396	1598	691	339	352	43.24%	
24	काडे	बरही	12120		3.838	539	189	94	95	35.06%	
25	बरही	बरही	12119		8.397	1482	404	204	200	27.26%	
26	मालगाव	मालगाव	12123		5.020	810	665	318	347	82.10%	
27	मुल्ले	मालगाव	12122		188.610	370	172	78	94	46.49%	
28	मुल्लेगुडा	मुल्लेगुडा	12121		451.61	1158	927	449	478	80.05%	
29	गाडपाल	मुल्लेगुडा	12124		200.47	470	215	98	117	45.74%	
		योग :-			98.353,	26991	14944	7222	7722		

क्र.	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का	स्थानीय	पट	क्षेत्रफल	कुल	अ.ज.जा.			प्रतिशत
							पुरुष	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
लोद (विकास खंड- गुरुर)										
1	धानपुरी	धानपुरी	1233000		3.86	1210	505	247	258	41.74%
2	ओडेनाडीह	धानपुरी	1236300		3.80	118	118	50	68	100.00%
3	खेराडीगी	मुडगहन	1233100		1.18	579	396	189	207	68.39%
4	बिन्नीबाहरा	मुडगहन	1233300		0.46	159	130	61	69	81.76%
5	मुडगहन	मुडगहन	1232800		0.86	295	265	129	136	89.83%
6	साल्हेमाट	मुडगहन	1232900		0.654	349	141	59	82	40.40%
7	सोहतरा	मुडगहन	1233200		2.28	191	142	58	84	74.35%
8	नेकुरा	बालोदगहन	12332600		2.04	144	144	71	73	100.00%
9	जगतारा	बालोदगहन	12336100		6.158	186	118	62	56	63.44%
10	आमापानी	बोरिदकला	12336200		5.05	78	78	38	40	100.00%
11	कोचवाही	कोचवाही	12335600		2.27	1033	543	258	285	52.57%
12	मुजालगादी	कोचवाही	12335500		3.988	460	229	115	114	49.78%
13	पांड	कोचवाही	12335800		2.559	515	283	136	147	54.95%
14	मैसमुडी	कोचवाही	12335700		2.928	143	96	47	49	67.13%
15	ककालीन	करझर	12355400		3.75	441	272	135	137	61.68%
16	अनाकोना	करझर	12335100		3.367	182	149	74	75	81.87%
17	अलोरी	करझर	12335300		3.128	161	131	64	67	81.37%
18	करझर	करझर	12335000		3.729	316	279	153	126	88.29%
19	मुसकरा	करझर	12335200		3.274	200	130	67	63	65.00%
20	नारागाव	नारागाव	12334200		6.237	1584	944	492	452	59.60%
21	मुगचुवा	हितकसा	12334300		2.960	180	144	65	79	80.00%
22	नगझर	हितकसा	12334600		2.888	309	223	110	113	72.17%
23	हितकसा	हितकसा	12334400		2.227	460	280	135	145	60.87%
24	रूपटोला	हितकसा	12334500		1.867	141	135	65	70	95.74%
25	नगबेलडीह	हितकसा	12336600		3.566	67	67	35	32	100.00%
26	पटेचुवा	हितकसा	12334700		3.682	293	221	101	120	75.43%
27	गोटाटोला	हितकसा	123365		2.886	153	124	59	65	81.05%
28	बड़मूम	बड़मूम	12334800		3.009	546	501	274	227	91.76%
29	भजाजगली	बड़मूम	12334900		2.769	292	261	127	134	89.38%
30	डाकला	दरगहन	1233200		2.317	607	315	147	168	51.89%
31	अजुनी	अजुनी	1229000		2.338	1032	542	256	286	52.52%
32	चिरचारी	अजुनी	1229400		3.78	914	483	229	254	52.84%
33	बगदई	बगदई	1229100		3.217	1204	755	362	393	62.71%
34	कपरमटा	कपरमटा	1233800		3.462	516	451	216	235	87.40%
35	करियाटोला	कपरमटा	12336000		1.997	133	124	61	63	93.23%
36	नाहदा	नाहदा	12334100		1.297	223	205	102	103	91.93%
37	नवागाव	भजाभेदानी	12332300		1.383	439	228	103	125	51.94%
योग:-					98.353,	15853	10152	4952	5200	

परिवर्धन प्रशासक,
एकीकृत आदिवासी विकास परिवर्धन
डॉ.पी.लोकेश्वर, जिला-बालोद

VILES POPULETION (Kaistr) OK - OK

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र गौरेला/कोरबा अन्तर्गत सम्मिलित जिला बिलासपुर के ग्रामों की विकास खण्डवार सूची एवं जनसंख्या (जनगणना वर्ष 2011)

क्र.	आदिउपयोजना क्षेत्र	जिला	वि०ख०	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	ग्राम की कुल जनसंख्या	ग्राम में अ.ज.जा. की संख्या
1	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	टाटीधार	टाटीधार	1185	897
2	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	सोनपुरी	दोलमोहा	630	195
3	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	मोहली	मोहली	1451	1188
4	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	आमागोहन	आमागोहन	1935	284
5	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	खोंगसरा	खोंगसरा	747	581
6	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	तुलूफ	तुलूफ	897	470
7	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	नवागांव	नवागांव	1183	987
8	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	डांडबछली	डांडबछली	717	362
9	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	बिटकुली	रिंगरिंगा	868	759
10	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	बिटकुली	बिटकुली	694	584
11	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	नगोई	नगोई	858	666
12	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	नगघुवा	नगघुवा	359	359
13	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	नगपुरा	कसईबहरा	391	357
14	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	टेंगनमाड़ा	टेंगनमाड़ा	377	170
15	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	नगपुरा	लमरीडबरी	334	160
16	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	सोनपुरी	सोनपुरी	824	356
17	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	केन्दा	केन्दा	2104	583
18	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	नेवरी बहरा	नेवरी बहरा	544	397
19	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	मझगंवा	मझगंवा	1755	1382
20	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	केन्दाडांड	तुसदा	202	202
21	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	केन्दाडांड	केन्दाडांड	938	671
22	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	करका	करका	85	85
23	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	नवारीबहरा	भवापारा	88	84
24	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	नवारीबहरा	सेनरा	310	249
25	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	उपका	अदटाडा	631	373
26	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	कुरवार	कुरवार	1040	344
27	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	सिलपहरी	सिलपहरी	872	677
28	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	पहन्दा	पहन्दा	947	360
29	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	उपका	उपका	707	414
30	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	उपका	सोडाकला	387	301
31	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	घुरेली	फुत्तुमखेडा	286	216
32	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	मिटूनवागांव	मिटूनवागांव	1125	884
33	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	कोन्चरा	कोन्चरा	1802	463
34	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	कोन्चरा	जरगा	395	12
35	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	डांडबछली	महाडांडबछली	621	303
36	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	करवा	करवा	1949	589
37	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	उमरिया	सरगोड	336	309
38	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	बिल्लीबंद	बिल्लीबंद	1228	481
39	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	उमरिया	परसापानी	61	61
40	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	कुरदर	दिखलाडबरी	216	175
41	गौरेला	बिलासपुर	कोटा	लुफा	लुफा	2229	1798

क.	आदि0उपयोज ना क्षेत्र	जिला	वि0खं0	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	ग्राम की कुल जनसंख्या	ग्राम में अ.ज.जा. की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
42	गौरला	बिलासपुर	कोटा	बेलगहना	बेलगहना	3313	306
43	गौरला	बिलासपुर	कोटा	सत्तीबहरा	भेलवाटिकरा	655	444
44	गौरला	बिलासपुर	कोटा	सत्तीबहरा	सत्तीबहरा	807	392
45	गौरला	बिलासपुर	कोटा	बहेरामुडा	बहेरामुडा	1322	1017
46	गौरला	बिलासपुर	कोटा	कुरदर	कुरदर	511	457
47	गौरला	बिलासपुर	कोटा	कुरदर	छुईया	334	268
48	गौरला	बिलासपुर	कोटा	मझगांव	ओरापानी	165	155
49	गौरला	बिलासपुर	कोटा	मझगांव	मझगांव	1448	746
50	गौरला	बिलासपुर	कोटा	करहीकछार	केकराडीह	651	311
51	गौरला	बिलासपुर	कोटा	करहीकछार	करहीकछार	1495	406
52	गौरला	बिलासपुर	कोटा	पण्डरापथरा	पण्डरापथरा	1095	431
53	गौरला	बिलासपुर	कोटा	रतखंडी	रतखंडी	845	163
54	गौरला	बिलासपुर	कोटा	रतखंडी	बरर	590	421
55	गौरला	बिलासपुर	कोटा	आमामुडा	आमामुडा	609	559
56	गौरला	बिलासपुर	कोटा	बानाबेल	बानाबेल	908	782
57	गौरला	बिलासपुर	कोटा	उमरिया	उमरिया	427	416
58	गौरला	बिलासपुर	कोटा	करका	जोगीपुर	0	91
59	गौरला	बिलासपुर	कोटा	खेरझिटी	खेरझिटी	552	461
60	गौरला	बिलासपुर	कोटा	रिंगवार	पीपरपारा	288	155
61	गौरला	बिलासपुर	कोटा	दारसागर	दारसागर	855	719
62	गौरला	बिलासपुर	कोटा	रिंगवार	रिंगवार	866	708
63	गौरला	बिलासपुर	कोटा	चपोरा	बांसाझाल	641	357
64	गौरला	बिलासपुर	कोटा	मझवानी	मझवानी	943	449
65	गौरला	बिलासपुर	कोटा	चपोरा	चपोरा	1267	359
66	गौरला	बिलासपुर	कोटा	नेवारीबहरा	नेवारीबहरा	544	397
67	गौरला	बिलासपुर	कोटा	सेमरा	बिरगहनी	721	360
68	गौरला	बिलासपुर	कोटा	वारीडीह	वारीडीह	1358	664
69	गौरला	बिलासपुर	कोटा	रानीबछाली	रानीबछाली	739	214
70	गौरला	बिलासपुर	कोटा	वारीडीह	कुआंजती	592	369
71	गौरला	बिलासपुर	कोटा	सेमरिया	सेमरिया	1088	583
72	गौरला	बिलासपुर	कोटा	झिंगटपुर	झिंगटपुर	1042	356
73	गौरला	बिलासपुर	कोटा	सल्का	सल्का	980	546
74	गौरला	बिलासपुर	कोटा	कंचनपुर	कंचनपुर	926	679
75	गौरला	बिलासपुर	कोटा	पोंडी	पोंडी	825	205
76	गौरला	बिलासपुर	कोटा	नवागांव	नवागांव	3848	1560
77	गौरला	बिलासपुर	कोटा	शिवतराई	शिवतराई	1107	891
78	गौरला	बिलासपुर	कोटा	दवनपुर	दवनपुर	730	665
79	गौरला	बिलासपुर	कोटा	परसदा	परसदा	1305	970
80	गौरला	बिलासपुर	कोटा		सरहापाली	447	375
81	गौरला	बिलासपुर	कोटा	पट्टा	नेवसा	658	446
82	गौरला	बिलासपुर	कोटा	पट्टा	पट्टा	1090	332
83	गौरला	बिलासपुर	कोटा	कुंवारीमुडा	लालपुर	234	78
84	गौरला	बिलासपुर	कोटा	कुंवारीमुडा	कुंवारीमुडा	485	300
85	गौरला	बिलासपुर	कोटा	गोबरीपाट	गोबरीपाट	1133	440

क.	आदिउपयोजना क्षेत्र	जिला	वि०ख०	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	ग्राम की कुल जनसंख्या	ग्राम में अ.ज.जा. की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
86	गौरला	बिलासपुर	कोटा	बंगोरी	बंगोरी	1507	418
87	गौरला	बिलासपुर	कोटा	धूमा	धूमा	2394	741
88	गौरला	बिलासपुर	कोटा	नागधुवा	नागधुवा	485	343
89	गौरला	बिलासपुर	कोटा	नागधुवा	बासाझाल	443	339
90	गौरला	बिलासपुर	कोटा	तेदुवा	तेदुवा	1789	573
91	गौरला	बिलासपुर	कोटा	करका	मोहतरा	425	224
92	गौरला	बिलासपुर	कोटा	धनरास	करपिहा	527	448
93	गौरला	बिलासपुर	कोटा	करका	केवरापारा	239	220
94	गौरला	बिलासपुर	कोटा	लमकेना	लमकेना	1003	319
95	गौरला	बिलासपुर	कोटा	करगीकला	करगीकला	2438	580
96	गौरला	बिलासपुर	कोटा	करका	जोगीपुर	148	91
97	गौरला	बिलासपुर	कोटा	लिटिया	बेडापाट	626	425
98	गौरला	बिलासपुर	कोटा	लिटिया	मोहवी	586	81
99	गौरला	बिलासपुर	कोटा	नवागांव	नवागांव	3848	1560
100	गौरला	बिलासपुर	कोटा	खैरझिटी	खैरझिटी	1173	198
101	गौरला	बिलासपुर	कोटा	अमने	अमने	1823	271
102	गौरला	बिलासपुर	कोटा	कलारतराई	कलारतराई	0	418
103	गौरला	बिलासपुर	कोटा	छुरदर	छुरदर	1981	927
104	गौरला	बिलासपुर	कोटा	अमाली	अमाली	2930	1511
105	गौरला	बिलासपुर	कोटा	भैंसाझार	भैंसाझार	724	444
106	गौरला	बिलासपुर	कोटा	मोहदा	मोहदा	1685	395
107	गौरला	बिलासपुर	कोटा	कलमीटार	कलमीटार	1620	490
108	गौरला	बिलासपुर	कोटा	भरदेयाडीह	भरदेयाडीह	140	118
109	गौरला	बिलासपुर	कोटा	पोडी	पोडी	1508	287
110	गौरला	बिलासपुर	कोटा	सिलदहा	सिलदहा	1236	545
111	गौरला	बिलासपुर	कोटा	भैंसाझार	बछलीखुर्द	1088	695
112	गौरला	बिलासपुर	कोटा	नवागांव	तिलकडीह	131	108
113	गौरला	बिलासपुर	कोटा	नवागांव	जमुनाही	211	88
114	गौरला	बिलासपुर	कोटा	लालपुर	घासीपुर	379	243
115	गौरला	बिलासपुर	कोटा	लालपुर	लालपुर	584	88
116	गौरला	बिलासपुर	कोटा	तेन्दुभाठा	तेन्दुभाठा	682	552
117	गौरला	बिलासपुर	कोटा	पुडू	पुडू	1119	873
118	गौरला	बिलासपुर	कोटा	खरगहनी	खरगहनी	831	506
119	गौरला	बिलासपुर	कोटा	धनरास	धनरास	1263	761
120	गौरला	बिलासपुर	कोटा	खैरा	खैरा	1236	441
121	गौरला	बिलासपुर	कोटा	दवनपुर	मानपुर	290	158
122	गौरला	बिलासपुर	कोटा	पुडू	कुम्हाडाखोल	295	158
123	गौरला	बिलासपुर	कोटा	तेन्दुभाठा	सेकर	520	419
124	गौरला	बिलासपुर	कोटा	धूमा	छिण्डील	466	277
125	गौरला	बिलासपुर	कोटा	बरपाली	बरपाली	579	388
126	गौरला	बिलासपुर	कोटा	चुरेली	विधारपुर	363	360
127	गौरला	बिलासपुर	कोटा	चुरेली	मानिकपुर	490	436
128	गौरला	बिलासपुर	कोटा	चुरेली	चुरेली	579	448
129	गौरला	बिलासपुर	कोटा	पुडू	लमनाझार	126	110

क्र.	आदि0उपयोज ना क्षेत्र	जिला	वि0ख0	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	ग्राम की कुल जनसंख्या	ग्राम में अ.ज.जा. की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
130	गौरिला	बिलासपुर	कोटा	नवागांव	नवागांव	376	208
131	गौरिला	बिलासपुर	कोटा	उमरियादादर	पघरा	460	140
132	गौरिला	बिलासपुर	कोटा	छेरकाबाधा	छेरकाबाधा	0	388
133	गौरिला	बिलासपुर	कोटा	भरदैयाडीह	जंजीराडीह	191	173
134	गौरिला	बिलासपुर	कोटा	नवागांव	डोंगी	348	31
135	गौरिला	बिलासपुर	कोटा	नवागांव	नवागांव	748	190
136	गौरिला	बिलासपुर	कोटा	उमरियादादर	उमरियादादर	885	648
137	गौरिला	बिलासपुर	कोटा	रानीसागर	रानीसागर	595	0
138	गौरिला	बिलासपुर	कोटा	कलारतराई	कलारतराई	695	418
139	गौरिला	बिलासपुर	कोटा	छतीना	छतीना	1171	872
140	गौरिला	बिलासपुर	कोटा	कलारतराई	बारीघाट	538	442
योग:-						123182	63210
1	गौरिला	बिलासपुर	तखतपुर	जुनापारा	जोगीपुर	646	184
2	गौरिला	बिलासपुर	तखतपुर	बाधा	बाधा	2148	784
3	गौरिला	बिलासपुर	तखतपुर	गमजू	टिंगीपुर	532	316
4	गौरिला	बिलासपुर	तखतपुर	पाली	पाली	1534	677
5	गौरिला	बिलासपुर	तखतपुर	गमजू नवागांव	नवागांव	390	280
6	गौरिला	बिलासपुर	तखतपुर	गमजू	गमजू	583	437
7	गौरिला	बिलासपुर	तखतपुर	भीमपुरी	राम्हेपुर	224	187
8	गौरिला	बिलासपुर	तखतपुर	डोमनपुर	सावंतपुर	128	78
9	गौरिला	बिलासपुर	तखतपुर	दरी	खटोला	442	396
10	गौरिला	बिलासपुर	तखतपुर	दरी	दरी	884	469
11	गौरिला	बिलासपुर	तखतपुर	बेलसरा	बेलसरा	1226	336
12	गौरिला	बिलासपुर	तखतपुर	खरगहना	खरगहना	1589	880
13	गौरिला	बिलासपुर	तखतपुर	जुनापारा	कठमुन्डा	273	182
14	गौरिला	बिलासपुर	तखतपुर	जुनापारा	कठमुन्डा रेत	77	76
15	गौरिला	बिलासपुर	तखतपुर	जुनापारा	बरगन	760	465
योग:-						11436	5707
1	बिलासपुर	कोरबा	बिल्हा	बांका	बांका	1170	1012
2	बिलासपुर	कोरबा	बिल्हा	कोरबी	कोरबी	1149	997
3	बिलासपुर	कोरबा	बिल्हा	कोरबी	पथरापाली	327	172
4	बिलासपुर	कोरबा	बिल्हा	लिम्हा	लिम्हा	3150	2661
5	बिलासपुर	कोरबा	बिल्हा	धीरामुन्डा	बरपाली	413	231
6	बिलासपुर	कोरबा	बिल्हा	धीरामुन्डा	धीरामुन्डा	1175	879
7	बिलासपुर	कोरबा	बिल्हा	बिटकुली उ	बिटकुली	932	422
8	बिलासपुर	कोरबा	बिल्हा	मंजूरपहरी	मंजूरपहरी	1162	751
9	बिलासपुर	कोरबा	बिल्हा	मंजूरपहरी	बम्हनीकला	402	338
10	बिलासपुर	कोरबा	बिल्हा	बसहा	बसहा	2204	985
11	बिलासपुर	कोरबा	बिल्हा	कडरी	कडरी	1382	714
योग:-						13466	9172
1	बिलासपुर	कोरबा	मस्तूरी	मचखण्डा	बम्हनीकला	491	475
2	बिलासपुर	कोरबा	मस्तूरी	जुहली	कारीछापर	705	466
3	बिलासपुर	कोरबा	मस्तूरी	खाड़ा	कैमाडीह	589	536
4	बिलासपुर	कोरबा	मस्तूरी	जुहली	जुहली	1579	1210

क्र.	आदि०उपयोज ना क्षेत्र	जिला	वि०ख०	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	ग्राम की कुल जनसंख्या	ग्राम में अ.ज.जा. की संख्या
5	बिलासपुर	कोरबा	मस्तूरी	साँठी	साँठी	2955	1217
6	बिलासपुर	कोरबा	मस्तूरी	खोघरा	खोघरा	736	600
7	बिलासपुर	कोरबा	मस्तूरी	जेवरा	जेवरा	2941	1684
8	बिलासपुर	कोरबा	मस्तूरी	उडांगी	उडांगी	1924	868
9	बिलासपुर	कोरबा	मस्तूरी	साँठी	पिपरानार	637	526
10	बिलासपुर	कोरबा	मस्तूरी	लुतरा	लुतरा	2089	932
11	बिलासपुर	कोरबा	मस्तूरी	खाड़ा	उरलापुर	307	51
12	बिलासपुर	कोरबा	मस्तूरी	हिंडाडीह	हरदाडीह	191	58
13	बिलासपुर	कोरबा	मस्तूरी	हिंडाडीह	हिंडाडीह	1366	429
14	बिलासपुर	कोरबा	मस्तूरी	खोघरा	कनई	503	327
15	बिलासपुर	कोरबा	मस्तूरी	निस्तु	अदराली	565	480
योग:-						17576	9859

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास बिलासपुर

2. नक्सल प्रभावित (LWE) जिलों की सूची:-

क्र..	जिला का नाम	जिला कोड	क्षेत्र
1	बलरामपुर	14	संपूर्ण जिला
2	कांकेर	15	संपूर्ण जिला
3	बस्तर	16	संपूर्ण जिला
4	नारायणपुर	17	संपूर्ण जिला
5	बीजापुर	18	संपूर्ण जिला
6	दत्तेवाड़ा	19	संपूर्ण जिला
7	सुकमा	20	संपूर्ण जिला
8	कोण्डागांव	21	संपूर्ण जिला
9	राजनांदगांव	22	संपूर्ण जिला
10	महारासमुंद	23	संपूर्ण जिला
11	गरियाबंद	24	संपूर्ण जिला
12	धमतरी	26	संपूर्ण जिला
13	कबीरघाम	27	संपूर्ण जिला
14	मुंगेली	32	संपूर्ण जिला

-सही-

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

इंद्रावती भवन, नवा रायपुर

Development of LWE Affected Areas

Posted On: 20 DEC 2022 5:34PM by PIB Delhi

Giving a reply to a Written Question in the Lok Sabha today, during Question Hour on the question 'Development of LWE Affected Areas' the Minister of State for Home Affairs, Shri Nityanand Rai said to address the Left Wing Extremism (LWE) menace holistically, Government of India (GoI) has approved a 'National Policy and Action Plan to address LWE' in 2015. This policy envisages a multi-pronged strategy involving security related measures development interventions, ensuring rights and entitlements of local communities, etc.

Steadfast implementation of this policy has resulted in consistent decline in violence in LWE affected areas. Incidents of LWE violence have reduced by 77 percent from high of 2,213 in 2010 to 509 in 2021. Similarly resultant deaths (Civilians + Security Forces) have reduced by 85 percent from high of 1,005 in 2010 to 147 in 2021. The declining trend continues in 2022.

Geographical spread of violence has also significantly reduced and only 191 Police Stations of 46 districts reported LWE related violence in 2021 as compared to high of 465 Police Stations of 96 districts in 2010. Decline in geographical spread is also reflected in the reduced number of districts covered under Security Related Expenditure (SRE) Scheme. Number of SRE districts reduced from 126 to 90 in April 2018 and further to 70 in July 2021.

Similarly, the number of districts contributing approximately 90 percent of the LWE violence, categorised as Most LWE Affected Districts, came down to 30 from 35 in 2018 and further to 25 in 2021. The list of districts covered under SRE scheme is are given below.

Sl. No.	State	No. of District	Districts covered Under SRE Scheme
1.	Andhra Pradesh	05	East Godavari, Srikakulam, Visakhapatnam, Vizianagram, West Godavari.
2.	Bihar	10	Aurangabad, Banka, Gaya, Jamui, Kaimur, Lakhisarai, Munger, Nawada, Rohtas, West Champaran.
3.	Chhattisgarh	14	Balrampur, Bastar, Bijapur, Dantewada, Dhamtari, Gariyaband, Kanker, Kondagaon, Mahasamund, Narayanpur, Rajnandgaon, Sukma, Kabirdham, Mungeli.



4.	Jharkhand	16	Bokaro, Chatra, Dhanbad, Dumka, East Singhbhum, Garhwa, Giridih, Gumla, Hazaribagh, Khunti, Latehar, Lohardaga, Palamu, Ranchi, Saraikela-Kharaswan, West Singhbhum.
5.	Madhya Pradesh	03	Balaghat, Mandla, Dindori.
6.	Maharashtra	02	Gadchiroli, Gondia.
7.	Odisha	10	Bargarh, Bolangir, Kalahandi, Kandhamal, Koraput, Malkangiri, Nabrangpur, Nuapada, Rayagada, Sundergarh.
8.	Telangana	06	Adilabad, Bhadrachari-Kothagudem, Jayashankar-Bhupalpally, Komaram-Bheem, Mancheril, Mulugu.
9.	West Bengal	01	Jhargram.
10.	Kerala	03	Malappuram, Palakkad, Wayanad.
	Total	70	

(c) On social and economic development front, the Ministry of Home Affairs works in close coordination with other Ministries for optimum implementation of the flagship schemes of those Ministries in LWE affected areas. Apart from the flagship schemes of various ministries, specific schemes have also been implemented for LWE affected areas, wherein special emphasis has been given on expansion of road network, improving telecommunications, educational empowerment and financial inclusion in LWE affected areas.

More than 11,600 km roads have been constructed in LWE affected areas under two specific schemes.

For improving telecommunication connectivity, 2,343 mobile towers have been installed and work order issued for another 2,542. Rs 3105 crore has been released to the Most LWE Affected Districts under 'Special Central Assistance (SCA)' scheme to fill critical gaps in public infrastructure and services. Under this scheme, various types of projects have been undertaken like road repair, improvement in health infrastructure, education related projects, rural infrastructure projects etc.

Further towards educational empowerment, 47 Industrial Training Institutes and 68 Skill Development Centers have been approved under "Skill Development Scheme in 47 Districts affected by LWE".

For financial inclusion, 1,258 Bank Branches, 1,348 ATMs and 22,202 Banking Correspondents have been established in Most LWE Affected Districts and 4,903 Post Offices have been opened in 90 LWE affected districts in the last seven years.

3. प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार है:-

क्र.	जिला	जिला कोड	परियोजना / विकासखण्ड	भाडा	लघु अवल	विशेष
1	धमतरी	26	धमतरी	गंगरेल	-	LWE जिला होने के कारण संपूर्ण जिले के विद्यार्थी पात्र होंगे
2	महासमुंद	23	महासमुंद	महासमुंद-1, महासमुंद-2	-	LWE जिला होने के कारण संपूर्ण जिले के विद्यार्थी पात्र होंगे
3	खैरागढ़-गंडई- छुईखदान	35	छुईखदान, खैरागढ़	नयनिया	-	पूर्व में LWE जिला राजानांदगांव का भाग होने के कारण संपूर्ण जिले के विद्यार्थी पात्र होंगे
4	राजनांदगांव	22	जोगरागढ़	-	बछेराभाटा	LWE जिला होने के कारण संपूर्ण जिले के विद्यार्थी पात्र होंगे
5	कबीरधाम	27	-	कबीरधाम	-	LWE जिला होने के कारण संपूर्ण जिले के विद्यार्थी पात्र होंगे
6	मुंगेली	32	गौरला	-	-	LWE जिला होने के कारण संपूर्ण जिले के विद्यार्थी पात्र होंगे
7	सक्ती	33	सक्ती	रूनाजा	-	अनुसूचित क्षेत्र में शामिल ग्रामों की सूची संलग्न है। सूची देखें या जिले के सहायक आयुक्त / परियोजना प्रशासक कार्यालय से संपर्क करें
8	सारंगढ़-बिलाईगढ़	36	सारंगढ़, बरमकेला	सारंगढ़	-	अनुसूचित क्षेत्र में शामिल ग्रामों की सूची संलग्न है। सूची देखें या जिले के सहायक आयुक्त / परियोजना प्रशासक कार्यालय से संपर्क करें
9	बलौदाबाजार	37	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	धुसी-बाधा	अनुसूचित क्षेत्र में शामिल ग्रामों की सूची संलग्न है। सूची देखें या जिले के सहायक आयुक्त / परियोजना प्रशासक कार्यालय से संपर्क करें
10	रायगढ़	31	रायगढ़	गोपालपुर	-	अनुसूचित क्षेत्र में शामिल ग्रामों की सूची संलग्न है। सूची देखें या जिले के सहायक आयुक्त / परियोजना प्रशासक कार्यालय से संपर्क करें

-सही-

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

इंद्रावती भवन, नवा रायपुर

52

माडा पाकेट अंतर्गत विकास खण्डवार क्षेत्रफल एवं जनसंख्या (जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार) की जानकारी

प्रपत्र

क.	जिला	माडा पाकेट का नाम	माडा पाकेट के अंतर्गत आने वाले तहसील का नाम	माडा पाकेट के अंतर्गत आने वाले विकास खंड का नाम	ग्राम का नाम	पंचायत का नाम	लोक. कोड नं.	प.ह.नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	कुल जनसंख्या (जनगणना 2011)			अनुसूचित जनजाति जनसंख्या					अनुसूचित जाति जनसंख्या		
										पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	19	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	सक्की	रगजा	सक्की	सक्की	बहेरा	सोनमुडा	01	01	238.79	308	328	636	178	200	378	44	36	80		
2					धनपुर	धनपुर	02	02	263.77	515	522	1037	355	365	720	18	16	34		
3					गुडवा	धनपुर	03	02	167.38	316	312	628	169	165	334	19	21	40		
4					कुचरीटार	बोकरामुडा	04	02	112.48	266	278	544	223	228	451	29	31	60		
5					बसिनपाठ	ऋषमतीर्थ	10	03	96.75	31	32	63	14	13	27	00	00	00		
6					सलिहानांठा	ऋषमतीर्थ	14	03	164.86	225	210	435	72	72	144	70	71	141		
7					रैनखोल	ऋषमतीर्थ	15	03	97.65	180	172	352	164	154	318	07	07	14		
8					खरीपारा	ऋषमतीर्थ	16	04	87.12	88	79	167	06	08	14	10	05	15		
9					ऋषमतीर्थ	ऋषमतीर्थ	17	03	145.31	229	163	392	52	38	90	62	66	128		
10					नवागांव	धुईचुवा	18	03	125.91	167	167	334	121	118	239	03	05	08		
11					बुदनपुर	धुईचुवा	11	03	178.67	171	167	338	115	124	239	08	07	15		
12					जोधा	गहरीमुडा	20	04	237.48	171	200	371	105	120	225	02	00	02		
13					जामचुवा	गहरीमुडा	21	04	133.21	271	240	511	203	177	380	25	18	43		
14					उपकाचुवा	देवरी	24	05	160.35	162	194	356	91	110	201	00	00	00		
15					पनासी	जुडगा	41	08	122.16	140	132	272	125	123	248	01	00	01		
16					जुटगाढ़ (जुडगा)	जुडगा	45	08	230.88	544	542	1086	115	131	246	50	47	97		
17					अंजोरीपाली	जुडगा	47	08	118.68	269	265	534	150	150	300	09	03	12		
18					पाली	बैलाचुवा	40	08	99.50	73	73	146	46	55	101	00	00	00		
19					जगदाला	बैलाचुवा	43	08	118.75	275	288	563	14	20	34	15	15	30		
20					बैलाचुवा	जगदल्ली	46	08	163.16	279	255	534	205	192	397	16	15	31		
21					जगदल्ली	जगदल्ली	49	08	178.24	292	254	546	174	168	342	16	15	31		

22	जांजगीर	राजा	सक्ती	सक्ती	जांजगीर	जांजगीर	63	09	327.43	636	586	1222	112	114	226	49	50	99
23					मसनिवाखुर्द	मसनिवाकला	66	09	251.06	352	343	695	208	214	422	15	11	26
24					भेदापली	आमापली	61	09	166.58	319	347	666	118	132	250	09	15	24
25					पुजेरीपली	आमापली	60	09	52.18	59	61	120	35	34	69	00	00	00
26					शेवापली	पतेरापलीखुर्द	65	09	71.12	132	157	289	132	157	289	00	00	00
27					करापली	पतेरापलीखुर्द	64	09	65.31	180	211	391	153	176	329	01	02	03
28					पतेरापलीखुर्द	पतेरापलीखुर्द	57	13	128.18	398	367	765	319	286	605	32	30	62
29					तंदूटोहा	तंदूटोहा	68	09	163.07	208	207	415	154	152	306	00	00	00
30					राजा	राजा	70	09	416.02	1037	1139	2176	527	600	1127	115	126	241
31					रतनपली	अमलडिहा	69	09	62.80	117	156	273	32	38	70	04	11	15
32					अमलडीहा	अमलडिहा	72	09	282.66	648	567	1215	387	312	699	17	18	35
33					गढगोकी	गढगोकी	73	10	360.05	731	746	1477	518	520	1038	05	09	14
34					कंचनपुर	बोरदा	87	11	19.08	323	327	650	54	75	129	13	18	31
35					बोरदा	बोरदा	86	11	209.48	500	525	1025	281	286	567	30	38	68
36					कांदानारा	कांदानारा	75	10	216.58	466	472	938	241	211	452	13	11	24
37					नंदेली	नंदेली	76	10	204.18	769	685	1454	221	176	397	156	135	291
38					हरदा	हरदा	81	10	151.79	410	392	802	158	152	310	00	00	00
39					गोरमुडा	हरदा	82	10	85.64	275	272	547	163	172	335	60	45	105
40					बोडरडीह	बोडरडीह	77	10	89.34	509	511	1020	02	01	03	29	27	56
41					अर्जुनी	अर्जुनी	96	20	252.36	438	478	916	278	301	579	35	33	68
42					चारपारा	सपनईमाली	95	20	119.75	285	266	551	143	129	272	18	20	38
43					जामपली	जगदल्ला	49	8	215.92	319	333	652	22	29	51	142	160	302
44					अथानकपुर	अथानकपुर	51	8	149.66	336	325	661	214	204	418	07	08	15
45					जगदल्ला	जामपली	42	8	182.63	233	214	447	89	85	174	17	19	36
46					सिपडीमुडा	हरदी	90	12	87.48	153	146	299	82	76	150	00	00	00
					योग				7571.52	14746	14673	29419	7337	7361	14690	1155	1149	2304

कुल ग्राम संख्या	46
कुल ग्राम पंचायत	29

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास जांजगीर चांपा

38

39

41	खम्हारपाली	भाटाकोना	234	177
42	बोरिदा	बोरिदा	996	0
43	गजाईभवना	चंदली	422	307
44	चंवरपुर	चंवरपुर	324	147
45	अमलीपाली ब	छिंघानी	115	30
46	दवगांव	दवगांव	256	97
47	सरार्हपाली	दमदरडा	516	141
48	देवगांव	देवगांव	803	259
49	मल्दा ब	देईसर	24	0
50	चामटेक	गंधराबुआ	564	216
51	गजाईभवना	गजाईभाना	221	139
52	अमझर	गालापोडा	: 610	156
53	देवगांव	धानापीपर	55	55
54	घठोरा	घठोरा	313	179
55	गोमर्डा	गोमर्डा	165	155
56	सहसपानी	जामपाली	247	135
57	खम्हारपाली	जवाहरनगर	121	120
58	कनकबीरा	कनकबीरा	858	394
59	अमलीडीपा	कंवरगुडा	183	150
60	कपरतुंगा	कपरतुंगा	824	360
61	घठोरा	करगीपाली	409	131
62	कर्तवानी	खैरपाली	167	86

सारंगद-विलाईगाढ

सारंगद
(भाडा-सारंगद)

40

	खम्हारपाली	खम्हारडीह	1570	835
63	खम्हारपाली	खम्हारडीह	1570	835
64	खर्सी छोट्टे	खर्सी	520	279
65	खम्हारपाली	लुंरका	104	104
66	दबगांव	गाजरायाटी	437	106
67	अमझर	मकरी	89	76
68	अथानकपाली	नरेशनागर	742	232
69	कनकबीया	नरणीखोल	93	87
70	खम्हारपाली	नवापाली	143	133
71	दबगांव	पठारीपाली	337	73
72	दबगांव	पिपरदा	296	94
73	खाखसीपाली	पुटिया	23	23
74	रामटेक	रामटेक	585	146
75	सहसपानी	सहसपानी	720	317
76	खरवानी छोट्टे	सैबमाल	34	25
77	घठोरा	शिवपुरी	155	102
78	खर्सी छोट्टे	सोडिका	305	116
79	अमलडीहा	सुरली	161	149
80	देवगांव	सुवरगुडा	436	368
81	घठोरा	टमटोरा	351	191
82	सहसपानी	टेढ़हीनाला	148	148
83	सहसपानी	तैकुंकार	86	79
84	गंजाईमवना	ठंजाकोट	360	154

41

85	मानिकपुर	विशवासपुर	372	218
86	मारोवरहा	लंकापाली	36	36
87	मारोवरहा	भकुरा	123	123
88	कंचनपुर	पठियापाली	146	112
89	झाल	अमलीपाली	276	93
90	बासादावन	बासादावन	383	169
91	धनगांव	पैकौन	461	303
92	धौसादरहा	जालाकोना	286	156
93	सेमीकोट	द्विगरीडीह	162	87
94	धौसादरहा	धौसादरहा	322	113
95	बैगिनडीह	बैगिनडीह	269	44
96	बैगिनडीह	नूनपानी	349	215
97	बैगिनडीह	भेकरा	240	144
98	करपी	परबियापाली	243	113
99	करपी	करामाल	233	121
100	हट्टापाली	जगदीशपुर	278	197
101	खम्हरिया	खम्हरिया	483	183
102	कोकबहाल	अकबरटोला	140	40
103	झाल	लीमपाली	315	154
104	झाल	बनवासपाली	281	121
105	झाल	झाल	637	222
106	जीरापाली	पतोरापाली	421	162

सारंगद-बिलाईनाह
बरमकेला
(माडा-सारंगद)

42

107	जीरापावली	जीरापावली	653	295
108	घोघरा	घोघरा	400	191
109	डोंगरीपावली	डोंगरीपावली	733	138
110	डोंगरीपावली	गिंडोला	440	244
111	डोंगरीपावली	लेंधरजोरी	549	192
112	घोघरा	बेहराबहाल	239	187
113	गौरडीह	रंगाडीह	471	155
114	कोकबहाल	कदलीसरार	378	158
115	बिरनीपावली	भराली	211	109
116	बिरनीपावली	सहजबहाल	263	72
117	बिरनीपावली	बिरनीपावली	564	61
118	परशियापावली	परशियापावली	577	515
119	परशियापावली	भालूपानी	267	241
120	बारादावन	डोंगीधानी	226	133
121	दोंरादरहा	विजयभाला	220	117

सहायक आयुक्त,
शासिकासी विकास समण्ड

43

कार्यालय (कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा) जिला-रायगढ़ (छगग)

प्रपत्र-01

माला क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों की जानकारी (संशोधित)

क्र.	जिला	वि.ख.	ग्राम पं.	ग्राम	ग्राम की कुल जनसंख्या	ग्राम में आज्ञा.की संख्या
1	रायगढ़	(माला-गोपालपुर)	अडबहाल	अडबहाल	418	148
2			सम्बलपुरी	बादपाली	494	268
3			बंगुरसिया	बंगुरसिया	634	137
4			अडबहाल	बलमदपुर	383	226
5			विजयपुर	विजयपुर	2113	1161
6			चक्रधरपुर	चक्रधरपुर	368	19
7			नवागांव	छिरवानी	252	51
8			बसलिया	दनीट	750	438
9			देलासी	देलासी	855	396
10			अडबहाल	देवबहाल	195	141
11			नवागांव	धुमाबहाल	266	197
12			कुशवाबहरी	गढकुसी	375	187
13			चिराइपानी	चिराइपानी	3279	474
14			गेरवानी	गेरवानी	2219	379
15			गोपालपुर	गोपालपुर	1561	659
16			गोवर्धनपुर	गोवर्धनपुर	744	488
17			झारगुडा	झारगुडा	338	250
18			बंगुरसिया	जुनवानी	779	292

44

19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बलौदाबाजार-माटापारा छ0ग0

45

विज्ञा :- माडा पॉकेट बालौदाबाजार

क्र.	जिला का नाम	परियोजना / माडा पॉकेट / ग्राम	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम / ग्राम पंचायत	ग्राम की कुल जनसंख्या (2011 जनगणना)	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या			अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत
							पुरुष	महिला	कुल	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	बलौदाबाजार-माटापारा	माडा पॉकेट बलौदाबाजार	कनकडोल	अर्जुनी ब	रीवाडीह	1398	82	90	172	12.30
2	"	"	"	अर्जुनी ब	अर्जुनी	2004	150	162	312	15.57
3	"	"	"	बलदाकछार	बलदाकछार	1432	215	187	402	28.07
4	"	"	"	खैरा	खैरा	708	93	89	182	25.71
5	"	"	"	खैरा	बरबसपुर	375	100	115	215	57.33
6	"	"	"	अवराई	अवराई	1056	245	267	512	48.48
7	"	"	"	मुठपार ब	दौद	335	81	95	176	52.54
8	"	"	"	मुळमडीह	दलदली	177	22	20	42	23.73
9	"	"	"	मुळमडीह	मुळमडीह	250	57	64	121	48.40
10	"	"	"	मुळमडीह	कडकाबाहरा	252	66	61	127	50.40
11	"	"	"	मुळमडीह	तालाझर	203	36	43	79	38.92
12	"	"	"	पाडादाह	पाडादाह	333	77	79	156	46.85
13	"	"	"	मुठपार	मुठपार	376	166	151	317	83.86
14	"	"	"	धिरघोल	दोनाझर	372	84	98	182	48.92
15	"	"	"	पुटपुरा	पुटपुरा	930	91	89	190	20.43
16	"	"	"	पुटपुरा	पैरागुडा	220	3	6	9	4.09
17	"	"	"	मुडहीपार	भडौरा	346	96	120	216	62.43
18	"	"	"	पिपरछेडी	पिपरछेडी	1059	68	106	192	18.13
19	"	"	"	मुडहीपार	मुडहीपार	692	227	258	485	81.93
20	"	"	"	धिरघोल	धिरघोल	263	81	96	177	67.30
21	"	"	"	पाडादाह	मुखाय	208	99	92	191	91.83
22	"	"	"	पाडादाह	सलिहामाठा	270	37	35	72	26.67
23	"	"	"	बोरसी	बोरसी	1037	258	274	532	51.30
24	"	"	"	बगार	बगार	567	144	165	309	54.50
25	"	"	"	बोरसी	बकला	144	49	73	122	84.72
26	"	"	"	परसदा	नंदनीया	581	162	184	346	59.66
27	"	"	"	परसदा	परसदा	509	141	137	278	54.62
28	"	"	"	ठाकुरदीया	ठाकुरदीया	515	93	95	188	36.50
29	"	"	"	खुरमुडी	खुरमुडी	288	140	134	274	95.80
30	"	"	"	खुरमुडी	फुरमुन्दी	279	134	131	265	94.98
31	"	"	"	खुरमुडी	फटुवाझर	173	81	92	173	100.00
32	"	"	"	भिनीरी	सुरतुरिया	5	2	1	3	60.00
33	"	"	"	भिनीरी	बकला	223	72	76	148	66.37
34	"	"	"	भिनीरी	गुडागण	311	109	111	220	70.74
35	"	"	"	टेमरी	नरायणपुर	563	123	133	256	45.47
36	"	"	"	टेमरी	टेमरी	1049	199	198	397	37.85
37	"	"	"	बन्हनी	खैरा	488	127	149	276	56.56
38	"	"	"	बन्हनी	बन्हनी	1021	332	354	686	67.19
39	"	"	"	खुडमुडी	झालपानी	140	16	19	35	25.00
40	"	"	"	बगार	भरका	304	108	112	220	72.37
41	"	"	"	असनींद	पचपेडी	156	79	64	143	91.67
42	"	"	"	सोनाखान	सोनाखान	6703	1784	1741	3525	52.59
43	"	"	"	नवागांव	तातदादर	363	133	144	277	76.31
44	"	"	"	नवागांव	कोठारी	356	110	127	237	66.57
45	"	"	"	नवागांव	नवागांव	688	243	232	475	69.04
46	"	"	"	देवतराई	पोंडी	89	34	48	82	92.13
47	"	"	"	बिखरी	जोगीडीया	854	105	96	201	56.78
48	"	"	"	कजिया	बिटकुली	2036	472	456	928	45.58

जिला का नाम	परियोजना / गाँव / पोस्ट / तालुका	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम / ग्राम पंचायत	ग्राम की कुल जनसंख्या (2011 आँकड़ा)	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या			अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत		
						पुरुष	महिला	कुल			
3	4	5		6	7	8	9	10	11		
			राजादेवरी	अधानकापुर	136	89	59	128	94.12		
			राजादेवरी	बाघगाडा	272	86	71	137	50.37		
			राजादेवरी	पिकरी	784	12	15	27	3.44		
			राजादेवरी	कुहारी	197	79	85	164	83.25		
			गोलाझर	गोलाझर	885	257	297	554	62.60		
			घाँदन	घाँदन	1714	422	400	822	47.96		
			अमरुवा	अमरुवा	847	313	325	638	75.32		
			अमरुवा	सुखरी	766	137	132	269	35.12		
			छतवन	छतवन	1382	294	324	618	44.72		
			बेचरापाली	नवाडीह	255	97	103	200	78.43		
			धमतपुरा	देवपुर	262	95	101	196	74.81		
			कोसमसरा व	गिधपुरी	416	204	204	408	98.08		
			कोसमसरा व	पकरीद	378	93	88	181	47.88		
			कोसमसरा व	कोसमसरा	930	284	293	577	62.04		
			बेचरापाली	बेचरापाली	925	183	194	377	40.76		
			बया	बया	2113	326	340	666	31.52		
			कुरकुटी	कुरकुटी	412	99	108	207	50.24		
			रंगौरा	रंगौरा	1184	307	315	622	52.53		
			डुमरपाली	रंझुनी	218	39	41	80	36.70		
			अमगाँव	अमगाँव	475	187	207	394	82.95		
			अमगाँव	अकलतरा	206	30	32	62	30.10		
			बार	बार	861	151	174	325	37.75		
			बडगाँव	गबीद	529	171	201	372	70.32		
			बडगाँव	बडगाँव	857	307	358	665	77.60		
			रवान	मोहदा	391	123	156	279	71.36		
			रवान	रवान	305	75	74	149	48.85		
			वेबी	डेवा	371	124	132	256	69.00		
			वेबी	वेबी	616	211	228	439	71.27		
			बरीदा व	देवगाँव	294	88	94	180	61.22		
			बिलारी	बिलारी	1404	323	330	653	46.51		
			मुसुवाडीह	गाजरडीह	237	80	73	153	64.56		
			अर्जुनी व	सराईपाली	334	140	132	272	81.44		
			अर्जुनी व	सिरमाल	102	39	44	83	81.37		
			खोसडा	गिण्डोला	225	92	89	181	80.44		
			खोसडा	खोसडा	294	136	135	271	93.13		
			महराजी	महकोनी	182	84	80	144	79.12		
			महराजी	दलदली	353	72	76	148	41.93		
			महराजी	महराजी	612	107	107	214	34.97		
			अर्जुनी व	अर्जुनी	533	189	182	371	69.61		
			पुडडीपार	सुकवा	530	200	216	416	78.49		
			भिनीरी	अत्या	140	54	51	105	75.00		
TOTAL						56024	13781	14345	28126		
93	1	बलोदाबाजार-भाटापारा	भाटा पोंकेट बलोदाबाजार	विलाईगढ़	सलिहा	मलुहा	542	101	124	225	41.51
94	2				सलिहा	सलिहा	3138	839	850	1689	53.82
95	3				धीरभाठा	धीरभाठा	1168	278	295	571	48.97
96	4				सरगुली	सरगुली	836	83	88	122	19.21
97	5				सरगुली	उधालपुर	811	173	190	363	71.04
98	6				गांधडीह	गांधडीह	1031	418	421	839	81.38
99	7				धनसीर	धनसीर	1958	486	452	938	48.88
100	8				बासपुरपुली	जामडीह	228	60	54	104	45.61

क्र.	क्र.	जिला का नाम	परियोजना / गावा परिकेन्द्र / जमात	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम / ग्राम पंचायत	ग्राम की कुल जनसंख्या (2011 जनगणना)	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या			अनुसूचित जनजाति प्रतिशत
								पुरुष	महिला	कुल	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
101	9	"	"	"	टेगना कछार	जोगीडीपा	354	105	98	201	58.78
102	10	"	"	"	गेडापाली	गेडापाली	611	125	138	263	43.04
103	11	"	"	"	चारपाली	चचरेत	363	127	130	257	70.80
104	12	"	"	"	चारपाली	कोडापाली	233	80	101	181	77.68
105	13	"	"	"	चारपाली	सुरदरख	514	203	206	409	79.57
106	14	"	"	"	पिरवा	पिरवा	1254	362	401	763	60.85
107	15	"	"	"	गेडापाली	घुटीकोना	99	35	50	85	85.86
108	16	"	"	"	बघमल्ला	बघमल्ला	1364	564	583	1147	84.09
109	17	"	"	"	बघमल्ला	आमाकछार	120	49	55	104	86.67
110	18	"	"	"	बोडाडीह	बोदा	425	129	128	255	60.00
111	19	"	"	"	बोडाडीह	बोडाडीह	565	240	244	484	85.68
112	20	"	"	"	सुरदरछा	मुडकवटा	118	38	38	76	64.41
113	21	"	"	"	चारपाली	चारपाली	825	209	226	435	52.73
114	22	"	"	"	चारपाली	रनकोट	357	168	172	338	94.68
115	23	"	"	"	चंदनगर	चंदनगर	390	165	158	321	82.31
116	24	"	"	"	चंदनगर	बसंतपुर	112	32	38	70	62.50
117	25	"	"	"	घाससिव	जामडीह	108	36	45	81	75.00
118	26	"	"	"	रनकोट	सेन्दुदरहा	1249	316	333	649	51.96
119	27	"	"	"	चन्दनगर	शंकर नगर	147	71	78	147	100.00
120	28	"	"	"	चन्दनगर	मण्डलपुर	236	34	38	70	29.66
TOTAL							18653	5472	5695	11167	

परियोजना :- लघुअंचल घुरीबांधा

121	1	बलौदाबाजार- भाटापारा	लघुअंचल घुरीबांधा	भाटापारा	मधुवन	मधुवन	761	271	275	546	71.75
122	2	"	"	"	टेहका	टेहका	1636	334	339	673	41.14
123	3	"	"	"	सुरखी	सुरखी	1077	228	225	453	42.06
124	4	"	"	"	विजराडीह	विजराडीह	1552	431	411	842	54.25
125	5	"	"	"	खम्हारडीह	खम्हारडीह	1001	289	329	618	61.74
126	6	"	"	"	बोरसी	बोरसी	897	41	46	87	9.70
127	7	"	"	"	कोडापार	मुडहीपार	533	118	122	240	45.03
128	8	"	"	"	कोडापार	कोडापार	696	229	240	469	67.39
129	9	"	"	"	खैरी	खैरी	1389	280	272	552	39.74
130	10	"	"	"	घुरबांधा	घुरबांधा	1908	193	216	409	21.44
131	11	"	"	"	बेंदरी	अचानकपुर	337	131	115	246	73.00
132	12	"	"	"	बेंदरी	बेंदरी	764	213	242	455	59.55
133	13	"	"	"	धीरामाठा	धीरामाठा	870	66	76	142	16.32
134	14	"	"	"	धीरामाठा	बकुलाही	443	219	224	443	100.00
135	15	"	"	"	खैरी	खैरी	744	214	209	423	56.85
136	16	"	"	"	गुडेलिया	गुडेलिया	1232	342	398	740	60.06
137	17	"	"	बलौदाबाजार	घवई	घवई	939	153	163	316	33.65
138	18	बलौदाबाजार- भाटापारा	लघुअंचल घुरीबांधा	"	घवई	पुरेना	524	209	206	415	79.20
139	19	"	"	"	घवई	मुडगहन	786	114	115	229	29.13
140	20	"	"	"	कोलियारी	कोलियारी	1006	369	375	744	73.96
141	21	"	"	"	देवरी	भटगांव	863	48	49	97	11.24
142	22	"	"	"	देवरी	देवरी	1704	501	486	987	57.92
143	23	"	"	"	खजुरी	पारागांव	452	162	139	301	66.59
144	24	"	"	"	दाबाडीह	दाबाडीह	742	297	285	582	78.44
145	25	"	"	"	केशडबरी	केशडबरी	217	73	87	160	73.73
TOTAL							23073	5525	5644	11169	

परिशिष्ट-६

4. विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG) हेतु:-

48

क्र.	जाति	क्षेत्र
1	कमार	संपूर्ण छ.ग. राज्य
2	अबुझमाड़िया	संपूर्ण छ.ग. राज्य
3	पहाड़ी कोरवा	संपूर्ण छ.ग. राज्य
4	बिरहार	संपूर्ण छ.ग. राज्य
5	बैगा	संपूर्ण छ.ग. राज्य
6	भुंजिया	संपूर्ण छ.ग. राज्य
7	पण्डो	संपूर्ण छ.ग. राज्य

-सही-

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

इंद्रावती भवन, नया रायपुर

35

49

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
// आदेश //

नवारायपुर अटल नगर, दिनांक /06/2023

23 JUN 2023

क्रमांक/एफ-16-25/2023/25-2: राज्य शासन एतद्द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये प्रयास आवासीय विद्यालय योजना नियमावली वर्ष 2022-23 की स्वीकृति प्रदान करता है।

2- इस स्वीकृति पर छ.ग. शासन, वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनरेट क्रमांक /एफ-2023-25-00356, दिनांक 20.06.2023 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(डी.डी.सिंह)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि

पृ.क्रमांक /एफ-16-25/2023/25-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /06/2023

23 JUN 2023

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
 - 2- विशेष सहायक, मान0 मंत्री, आदिम जाति तथा अनु0 जाति विकास विभाग, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
 - 3- अवर सचिव, मुख्य सचिव सचिवालय, छ0ग0 शासन, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
 - 4- सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
 - 5- संमस्त विभाग प्रमुख/विभागाध्यक्ष, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
 - 6- महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर
 - 7- आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, नवा रायपुर अटल नगर छ0ग0
 - 8- संभागीय आयुक्त, रायपुर/बिलासपुर/बस्तर/सरगुजा/दुर्ग
 - 9- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनु0 जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
 - 10- समस्त कलेक्टर छ0ग0
 - 11- समस्त सहायक आयुक्त, छ0ग0
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12- आर्डर बुक.

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.



**मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए
प्रयास आवासीय विद्यालय योजना नियमावली (वर्ष 2022-23)**

1. उद्देश्य:- सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक स्कूली शिक्षा के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं यथा-इंजीनियरिंग, मेडिकल, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (एन.टी.एस.सी.), क्लेट, सी.ए./सी.एस्/सी.एन.ए. इत्यादि प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान कर इन विद्यार्थियों को स्वयं के प्रतिभा के बल पर सफल/सक्षम/प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
2. योजनांतर्गत शामिल क्षेत्र:-
छ.ग.राज्य का सम्पूर्ण क्षेत्र इस योजना में शामिल है।
3. चयन हेतु मापदण्ड :-
 - I. इस योजना अंतर्गत विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए।
 - II. छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो।
 - III. छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग से है।
 - IV. राज्य के किसी भी विद्यालय से विद्यार्थी को अनुशासनहीनता के आरोप में विद्यालय से निष्कासित न किया गया हो।
4. आवासीय विद्यालयों में सीट क्षमता :- प्रयास विद्यालयों में सीट क्षमता निम्नानुसार होगी:-

क्र.	संस्था का नाम	9वीं से 12वीं तक निर्धारित सीट संख्या	संकाय जिसका अध्यापन/कोचिंग दिया जाना है:-
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, रायपुर जिला-रायपुर (अन्य पिछड़ा वर्ग)	125 X 4 = 500	गणित संकाय (जेईई मेन्स/एडवांस), जीव विज्ञान संकाय (नीट, एम्स.) इत्यादि प्रवेश परीक्षा की तैयारी।
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, बिलासपुर जिला-बिलासपुर (अन्य पिछड़ा वर्ग)	125 X 4 = 500	गणित संकाय (जेईई मेन्स/एडवांस), जीव विज्ञान संकाय (नीट, एम्स.) इत्यादि प्रवेश परीक्षा की तैयारी।
योग:-		1000	

5. विद्यालय की कुल स्वीकृत सीट (125 सीट) में अन्य पिछड़ा वर्गों में से विशेष परिस्थिति वाले विद्यार्थियों के लिए सीट का आरक्षण :-

क्र.	वर्ग	आरक्षित सीट संख्या
1	दिव्यांग विद्यार्थी	06
2	दिव्यांग माता पिता के बच्चे	03
3	अनाथ बच्चे	03
4	विधवा माता के बच्चे	03
5	परित्यक्ता महिला के बच्चे	03
6	देश की रक्षा करते हुए या अपने कर्तव्य निर्वहन करते समय पुलिस/अर्द्धसैनिक/सशस्त्र बल सैनिक के शहीद के बच्चे	07
कुल योग :-		25

उपरोक्त विशेष परिस्थिति वाले बच्चों के लिए आरक्षित विभिन्न वर्गों में बच्चे न मिलने पर विशेष वर्ग में ही आपस में परिवर्तनीय होगा जिसका निर्धारण प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा। विशेष वर्ग के अंतर्गत परिवर्तन के माध्यम से सीट रिक्त रह जाने की स्थिति में सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से भरी जायेगी।

iv. कोविड या असामान्य परिस्थितियों अंतर्गत विगत वर्ष में अध्यापन/कोचिंग प्रदान कर रही कोचिंग संस्था को उपलब्धि के आधार पर विभागाध्यक्ष नवीनीकरण प्रदान करने हेतु सक्षम होंगे।

12. कोचिंग संस्थाओं को "रूचि की अभिव्यक्ति" में भाग लेने हेतु अर्हताएँ :-

मुख्य अर्हताएँ इस प्रकार हैं -

- कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/भारत सरकार अथवा छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956 /ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट/ भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) तहत पंजीकृत हो। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए।
- संस्था का पैन (PAN) एवं टैन (TAN)/जीएसटी (GST) नम्बर अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना चाहिए। यदि टैक्स में छुट प्रदान किया गया है तो इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- विगत 03 वर्षों का टर्न ओवर प्रतिवर्ष राशि रु. 50.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 03 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) एवं आई.टी.आर. प्रस्तुत करना होगा।
- सुरक्षा निधि के रूप में राशि रुपये 5.00 लाख का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. संलग्न होना चाहिए। आवेदक संस्था का चयन नहीं होने पर निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. वापसी योग्य होगा। चयनित/अनुबंधित संस्था को अनुबंध अनुसार अनुबंध अवधि में कुल अनुबंधित राशि का 10 प्रतिशत राशि बैंक गारंटी या समतुल्य राशि का एफ.डी.आर. जमा करना होगा। बैंक गारंटी या समतुल्य राशि का एफ.डी.आर. सफलतापूर्वक कार्य सम्पादित करने पर वापसी योग्य होगी।

इसके अतिरिक्त अर्हता का विवरण उस वर्ष प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" में उल्लेखित किया जाएगा। जिसका निर्धारण विभागाध्यक्ष, आदिन जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नया रायपुर द्वारा प्रकाशित उस वर्ष की "रूचि की अभिव्यक्ति" में किया जाएगा।

13. राशि का भुगतान :-

प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, तथा 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग हेतु रूचि की अभिव्यक्ति के द्वारा चयनित/अनुबंधित कोचिंग संस्था को अनुबंधित राशि का भुगतान विभिन्न किशतों में किया जायेगा, जिसका उल्लेख/निर्धारण उस वर्ष प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" में किया जायेगा।

कोचिंग संस्था को किशत अनुसार देय राशि से अधिक भुगतान किये जाने की स्थिति में आधिक्य की राशि कोचिंग संस्था से वसूलनीय होगी तथा गलत भुगतान किए जाने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

14. "रूचि का अभिव्यक्ति" को अंतिम रूप देने, कोचिंग संस्थाओं का चयन एवं मूल्यांकन हेतु समिति :-

प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण एवं चयन निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा:-

- विभागाध्यक्ष (आयुक्त/संचालक) आदिन जाति तथा अनू० जाति विकास - अध्यक्ष
- संचालक, SCERT या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि - सदस्य
- संयुक्त संचालक/अपर संचालक (वित्त)/वित्त नियंत्रण - सदस्य
- योजना प्रभारी अधिकारी (मुख्यालय) - सदस्य सचिव
- संचालक, तकनीकी शिक्षा या नामांकित प्रतिनिधि - सदस्य
- प्रयास आवासीय विद्यालय के एक प्राचार्य/प्रशासकीय अधिकारी - सदस्य

प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" के अंतर्गत आवेदक कोचिंग संस्थाओं के अर्हता तथा पंजीयन, लेखा, ऑडिट रिपोर्ट, आई.टी.आर., जी.एस.टी. इत्यादि के परीक्षण करने हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट की सेवाएं ली जा सकेंगी।

27

48

52

प्रशासकीय अधिकारी के दायित्व :-

- (i) प्रशासकीय अधिकारी विद्यालय के प्रमुख होंगे तथा विद्यालय पर समस्त प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण प्रशासकीय अधिकारी का होगा।
- (ii) प्रशासकीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वह विद्यालय के गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन एवं परिणामोन्मुख बनाने हेतु हर संभव प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों के सुविधा एवं सुरक्षा हेतु सी.सी.टी. कैमरा स्थापित किया जाएगा साथ ही कक्षा अध्यापन के मॉनिटरिंग हेतु सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक क्लास में लगाए जायेंगे जिसे ऑनलाईन सिस्टम से केन्द्रीयकृत व्यवस्था के माध्यम से शैक्षणिक मॉनिटरिंग की जाएगी।
- (iii) विद्यालय के क्रियाकलापों के लिए वरिष्ठ कार्यालयों एवं अन्य विभागों से सहयोग लेने हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे।
- (iv) प्रशासकीय अधिकारी कोचिंग संस्थान द्वारा प्रदत्त फैंकल्टी पर पूर्ण नियंत्रण रखेंगे। इस हेतु बायोमैट्रिक अटेंडेंस से मॉनिटरिंग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन का उपस्थिति पंजी, शिक्षक डायरी, शिक्षक प्रगति, समय-सारणी अनुसार विद्यालय का संचालन करेंगे। शिक्षक प्रतिदिन की उपस्थिति-अनुपस्थिति के कारण स्थानापन्न शिक्षक का प्रमाणीकरण प्रतिदिन प्रशासकीय अधिकारी करेंगे।
- (v) प्रशासकीय अधिकारी, अनुबंध की शर्तों के अनुरूप अनुबंधित कोचिंग संस्थान से कार्य करवायेंगे। तथा अनुबंध अनुसार समयावधि में परीक्षण उपरांत कोचिंग संस्थाओं को भुगतान करेंगे या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को अनुशंसा के साथ भेजेंगे। सभी टैक्स की कटौतियाँ नियमानुसार करेंगे। त्रुटिपूर्ण एवं आधिक्य के भुगतान हेतु भुगतानकर्ता अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- (vi) विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु समय-समय पर मेहमान प्रवक्ता को आमंत्रित कर व्याख्यान करायेंगे।
- (vii) मेस का सुव्यवस्थित संचालन करायेंगे एवं उसका हिसाब रखेंगे एवं प्रतिमाह भोजन व्यय का हिसाब रखेंगे तथा प्रति विद्यार्थी डाइट चार्ज निकालेंगे।
- (viii) प्रतिमाह मदवार व्यय विवरण प्रस्तुत करेंगे।
- (ix) प्रशासकीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वह विद्यार्थियों के तटस्थ मूल्यांकन का भी प्रबंध करेंगे, जिससे विद्यार्थी एवं कोचिंग संस्था की कोचिंग की दक्षता का मूल्यांकन हो। यह वर्ष में दो बार अपनी सुविधानुसार आयोजित करेंगे। इसकी प्रगति से विभाग को अवगत कराना होगा।
- (x) समय-समय पर विभाग के हित में सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करेंगे।
- (xi) अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य उचित कार्य आबंटन करेंगे एवं उन पर नियंत्रण रखेंगे।
- (xii) प्रशासकीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वे प्रतिमाह निर्धारित प्रपत्र में मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा विद्यार्थियों की प्रगति का विश्लेषण कर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के माध्यम से राज्य मुख्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

17. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के दायित्व :-

- (i) प्रयास आवासीय विद्यालय का समय-समय पर पर्यवेक्षण करेंगे तथा माह में न्यूनतम दो बार निरीक्षण करेंगे तथा कोचिंग संस्था के साथ अध्यापन/कोचिंग की प्रगति का मूल्यांकन करेंगे इसके पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन प्रतिमाह आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
- (ii) प्रशासकीय विद्यालयों के संचालन में आ रही बाधा समस्या का निराकरण करेंगे।
- (iii) प्रशासकीय अधिकारी के सीमा से बाहर अन्य कार्यों के लिए बाह्य सहायता एवं मार्गदर्शन देंगे।

18. प्रयास विद्यालय हेतु जिला स्तरीय संचालन/क्रियान्वयन समिति :-

जिला स्तर पर संचालन समिति (समस्त प्रयास विद्यालय हेतु) :- जिला स्तर पर संचालन समिति के निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

- | | |
|--|-----------|
| (1) संबंधित जिले के जिला कलेक्टर | - अध्यक्ष |
| (2) जिला शिक्षा अधिकारी | - सदस्य |
| (3) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | - सदस्य |
| (4) महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी | - सदस्य |

DC/PS
27/06/23

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
// आदेश //

33 82 53

नवारायपुर अटल नगर, दिनांक 23/06/2023

कमांक/एफ-16-24/2023/25-2: राज्य शासन एतद्द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लिये प्रयास आवासीय विद्यालय योजना नियमावली वर्ष 2022-23 की स्वीकृति प्रदान करता है।

2- इस स्वीकृति पर छ.ग. शासन, वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनरेट कमांक /एफ-2023-25-00355/बी-3, दिनांक 20.06.2023 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

युनि-
DC/PS
27/06/23

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(डी.डी.सिंह)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि

पृ.कमांक /एफ-16-24/2023/25-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/06/2023
प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
 - 2- विशेष सहायक, मान0 मंत्री, आदिम जाति तथा अनु0 जाति विकास विभाग, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
 - 3- अवर सचिव, मुख्य सचिव सचिवालय, छ0ग0 शासन, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
 - 4- सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
 - 5- समस्त विभाग प्रमुख/विभागाध्यक्ष, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
 - 6- महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर
 - 7- आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, नवा रायपुर अटल नगर छ0ग0
 - 8- संभागीय आयुक्त, रायपुर/बिलासपुर/बस्तर/सरगुजा/दुर्ग
 - 9- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनु0 जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
 - 10- समस्त कलेक्टर छ0ग0
 - 11- समस्त सहायक आयुक्त, छ0ग0
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12- आर्डर बुक.

(डी.डी.सिंह)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.

- उद्देश्य:- सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक स्कूली शिक्षा के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं यथा-इंजीनियरिंग, मेडिकल, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (एन.टी.एस.सी.), क्लेट, सी.ए./सी.एस/सी.एम.ए. इत्यादि प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान कर इन विद्यार्थियों को स्वयं के प्रतिभा के बल पर सफल/सक्षम/प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
- योजनांतर्गत शामिल क्षेत्र:-
छ.ग.राज्य का सम्पूर्ण क्षेत्र इस योजना में शामिल है।
- चयन हेतु मापदण्ड :-
 - इस योजना अंतर्गत विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए।
 - छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो।
 - संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति से है।
 - राज्य के किसी भी विद्यालय से विद्यार्थी को अनुशासनहीनता के आरोप में विद्यालय से निष्कासित न किया गया हो।

4. आवासीय विद्यालयों में सीट क्षमता :- प्रयास विद्यालयों में सीट क्षमता निम्नानुसार होगी:-

क्र.	संस्था का नाम	9वीं से 12वीं तक निर्धारित सीट संख्या	संकाय जिसका अध्यापन/कोचिंग कराया जाना है:-
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, पाटन जिला-दुर्ग (अनुसूचित जाति)	125 X 4 = 500	गणित संकाय (जेईई मेन्स/एडवांस), जीव विज्ञान संकाय (नीट, एम्स.) इत्यादि प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराना।
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, रायपुर जिला-रायपुर (अनुसूचित जाति)	125 X 4 = 500	गणित संकाय (जेईई मेन्स/एडवांस), जीव विज्ञान संकाय (नीट, एम्स.) इत्यादि प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराना।
योग:-		1000	

5. विद्यालय की कुल स्वीकृत सीट (125 सीट) में अनुसूचित जाति वर्गों में से विशेष परिस्थिति वाले विद्यार्थियों के लिए सीट का आरक्षण :-

क्र.	वर्ग	आरक्षित सीट संख्या
1	दिव्यांग विद्यार्थी	06
2	दिव्यांग माता पिता के बच्चे	03
3	अनाथ बच्चे	03
4	विधवा माता के बच्चे	03
5	परित्यक्ता महिला के बच्चे	03
6	देश की रक्षा करते हुए या अपने कर्तव्य निर्वहन करते समय पुलिस/अर्द्धसैनिक/सशस्त्र बल सैनिक के शहीद के बच्चे	07
कुल योग :-		25

उपरोक्त विशेष परिस्थिति वाले बच्चों के लिए आरक्षित विभिन्न वर्गों में बच्चे न मिलने पर विशेष वर्ग में ही आपस में परिवर्तनीय होगा जिसका निर्धारण प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा। विशेष वर्ग के अंतर्गत परिवर्तन के माध्यम से सीट रिक्त रह जाने की स्थिति में सामान्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से भरी जायेगी।

6. विद्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु पंजीयन/चयन प्रक्रिया :-
- “आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा यथा समय विज्ञप्ति राज्य/जिला स्तर पर प्रकाशित कराया जाएगी तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
 - अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र जो कक्षा 8वीं में अध्ययनरत या कक्षा 8वीं में 60 प्रतिशत/समकक्ष ग्रेड प्राप्त विद्यार्थी इस प्रवेश परीक्षा हेतु पंजीयन करा सकेंगे।
 - प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन में प्रकाशित विवरण एवं शर्तों के अनुसार विद्यार्थी को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
 - प्रवेश परीक्षा संबंधित जिला मुख्यालय पर आयोजित की जावेगी। परीक्षा केन्द्र का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर/सहायक आयुक्त द्वारा किया जाएगा।
 - प्रवेश परीक्षा का आयोजन जिला कलेक्टर/सहायक आयुक्त द्वारा अपने निगरानी में कराया जायेगा।
 - मूल्यांकन कार्य एवं मेरिट सूची तैयार करने का दायित्व आयुक्त द्वारा संचालित प्रयास विद्यालयों में से किसी एक जिले के सहायक आयुक्त को दायित्व सौंपा जायेगा अथवा वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकेंगी। प्रावचयन परीक्षा हेतु प्रक्रिया का निर्धारण आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा किया जायेगा।
7. मान्यता प्राप्त बोर्ड :- प्रयास आवासीय विद्यालय छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड के अधीन संचालित होगा। आवश्यकता अनुसार बोर्ड में परिवर्तन की कार्यवाही विभागाध्यक्ष, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के द्वारा की जा सकेगी।
8. शिक्षा का माध्यम :- प्रयास आवासीय विद्यालय में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा।
9. आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :- प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों को भवन, मेस, छात्रावास, गणवेश, पाठ्यपुस्तक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शैक्षणिक सुविधाएँ, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा तथा समस्त अधोसंरचना इत्यादि विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
10. विद्यालय संचालन का मोड :- प्रयास आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सुविधाओं अंतर्गत शिक्षकों की व्यवस्था निजी कोचिंग संस्थाओं से आउटसोर्स के माध्यम से की जायेगी। इन कोचिंग संस्थाओं का चयन “रूचि की अभिव्यक्ति” के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त कर चयन किया जायेगा। कोचिंग संस्थाओं को अनुबंध की शर्तों के आधार पर भुगतान किया जावेगा। विभाग द्वारा विद्यालय हेतु समस्त अधोसंरचना उपलब्ध कराया जावेगा तथा कोचिंग संस्थाओं के फैंकेल्टी पर नियंत्रण हेतु विभाग द्वारा नियुक्त प्रशासकीय अधिकारी एवं अन्य स्टाफ होगा।
11. कोचिंग संस्था के चयन हेतु प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यवाही के अधिकार:-
- “रूचि की अभिव्यक्ति” हेतु फार्म/डाक्युमेन्ट विभागाध्यक्ष, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर द्वारा तैयार किया जाएगा। अध्यापन तथा कोचिंग हेतु संस्था चयन के लिए केन्द्रीयकृत विज्ञापन विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया जायेगा। इसमें निजी कोचिंग संस्थाओं के लिए मानकों का उल्लेख होगा। मानकों के अनुरूप पाये जाने पर राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा कोचिंग संस्थाओं के चयन की अनुसंशा की जावेगी। राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुसंशा के आधार पर कोचिंग संस्थाओं के अंतिम रूप से चयन की स्वीकृति विभागाध्यक्ष द्वारा की जावेगी।
 - सामान्यतः एक कोचिंग संस्था को एक ही विद्यालय में अध्यापन एवं कोचिंग का कार्य आबंटित किया जायेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष द्वारा किसी संस्था को एक से अधिक विद्यालय आबंटित किया जा सकेगा जिसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
 - केन्द्रीयकृत व्यवस्था अंतर्गत कोचिंग संस्थाओं के चयन एवं अध्यापन/कोचिंग हेतु विद्यालय आबंटन राज्य मुख्यालय के द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात् संबंधित जिले के जिला कलेक्टर द्वारा कोचिंग संस्थाओं से राज्य स्तर से अनुमोदित अनुबंध प्रारूप पर अनुबंध निष्पादित किया जावेगा। अनुबंध निष्पादित उपरांत जिला कलेक्टर द्वारा कार्यादेश जारी किया जायेगा तथा विद्यालय के संचालन हेतु कोचिंग संस्थाओं को भुगतान, मॉनिटरिंग एवं नियंत्रण आदि हेतु संबंधित जिला कलेक्टर पूर्ण सक्षम होंगे। अनुबंध अनुसार संस्थाओं द्वारा कार्य न करने पर उनके विरुद्ध अनुबंध के प्रावधानों के आधार पर ही कार्यवाही हेतु कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी होंगे। निष्पादित अनुबंध के कंडिका के प्रावधान में अंतिम भुगतान का निराकरण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

iv. कोविड या असामान्य परिस्थितियों अंतर्गत विगत वर्ष में अध्यापन/कोचिंग प्रदान कर रही कोचिंग संस्था को उपलब्धि के आधार पर विभागाध्यक्ष नवीनीकरण प्रदान करने हेतु सक्षम होंगे।

12. कोचिंग संस्थाओं को "रूचि की अभिव्यक्ति" में भाग लेने हेतु अर्हताएँ :-

मुख्य अर्हताएँ इस प्रकार हैं -

- कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/भारत सरकार अथवा छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956 /र ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट/ भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) तहत पंजीकृत हो। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए।
- संस्था का पैन (PAN) एवं टैन (TAN)/जीएसटी (GST) नम्बर अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना चाहिए। यदि टैक्स में छुट प्रदान किया गया है तो इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- विगत 03 वर्षों का टर्न ओव्हर प्रतिवर्ष राशि रु. 50.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 03 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) एवं आई.टी.आर. प्रस्तुत करना होगा।
- सुरक्षा निधि के रूप में राशि रुपये 5.00 लाख का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. संलग्न होना चाहिए। आवेदक संस्था का चयन नहीं होने पर निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट/एफ. डी.आर. वापसी योग्य होगा। चयनित/अनुबंधित संस्था को अनुबंध अनुसार अनुबंध अवधि में कुल अनुबंधित राशि का 10 प्रतिशत राशि बैंक गारंटी या समतुल्य राशि का एफ.डी.आर. जमा करना होगा। बैंक गारंटी या समतुल्य राशि का एफ.डी.आर. सफलतापूर्वक कार्य सम्पादित करने पर वापसी योग्य होगी।

इसके अतिरिक्त अर्हता का विवरण उस वर्ष प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" में उल्लेखित किया जाएगा। जिसका निर्धारण विभागाध्यक्ष, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नया रायपुर द्वारा प्रकाशित उस वर्ष की "रूचि की अभिव्यक्ति" में किया जाएगा।

13. राशि का भुगतान :-

प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, तथा 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" के द्वारा चयनित/अनुबंधित कोचिंग संस्था को अनुबंधित राशि का भुगतान विभिन्न किस्तों में किया जायेगा, जिसका उल्लेख/निर्धारण उस वर्ष प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" में किया जायेगा।

कोचिंग संस्था को किस्त अनुसार देय राशि से अधिक भुगतान किये जाने की स्थिति में आधिक्य की राशि कोचिंग संस्था से वसूलनीय होगी तथा गलत भुगतान किए जाने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

14. "रूचि का अभिव्यक्ति" को अंतिम रूप देने, कोचिंग संस्थाओं का चयन एवं मूल्यांकन हेतु समिति :-

प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण एवं चयन निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा:-

- विभागाध्यक्ष (आयुक्त/संचालक) आदिम जाति तथा अनू० जाति विकास - अध्यक्ष
- संचालक, SCERT या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि - सदस्य
- संयुक्त संचालक/अपर संचालक (वित्त)/वित्त नियंत्रण - सदस्य
- योजना प्रभारी अधिकारी (मुख्यालय) - सदस्य सचिव
- संचालक, तकनीकी शिक्षा या नामांकित प्रतिनिधि - सदस्य
- प्रयास आवासीय विद्यालय के एक प्राचार्य/प्रशासकीय अधिकारी - सदस्य

प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" के अंतर्गत आवेदक कोचिंग संस्थाओं के अर्हता तथा पंजीयन, लेखा, ऑडिट रिपोर्ट, आई.टी.आर., जी.एस.टी. इत्यादि के परीक्षण करने हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट की सेवाएं ली जा सकेंगी।

15. चयनित कोचिंग संस्था के दायित्व :-

80 34

57

1. "रूचि की अभिव्यक्ति" में दर्शाये गई योग्यता अनुरूप कोचिंग संस्थाओं को फैंकल्टी रखना अनिवार्य होगा।
2. संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले फैंकल्टी के पास में कम से कम 02 वर्ष का कोचिंग अनुभव होना चाहिए।
3. प्रयास विद्यालय हेतु नियोजित फैंकल्टी प्रयास विद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था/कोचिंग कक्षाओं में अध्यापन कार्य नहीं करेगा।
4. प्रयास विद्यालय में फैंकल्टी को आयुक्त/संचालक/संबंधित जिले के कलेक्टर की अनुमति से ही बदला जा सकेगा।
5. चयनित फैंकल्टी द्वारा प्रभावी/गुणवत्ता मूलक शिक्षण करने में सक्षम नहीं पाए जाने पर आयुक्त/संचालक/कलेक्टर के निर्देश पर योग्य फैंकल्टी की पूर्ति 15 दिवस के अंदर करना अनिवार्य होगा। अन्यथा के स्थिति में रूचि की अभिव्यक्ति के शर्तों के अनुसार राशि कटौती की जा सकेगी।
6. समस्त आवश्यक शैक्षणिक सामग्री अनुबंध अनुसार उपलब्ध कराना होगा।
7. अनुबंध निष्पादित होने के पश्चात लिखित सूचना दिए जाने के अधिकतम एक सप्ताह के अंदर कोचिंग/अध्यापन का कार्य प्रारंभ करना होगा।
8. प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रत्येक माह मासिक, त्रैमासिक एवं छ:माही टेस्ट लेना होगा एवं मूल्यांकन करना होगा। मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थियों के अध्ययन में सुधार हेतु सुझाव तथा अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सतत् सकारात्मक प्रयास करना होगा। टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अभिलेख संस्था प्रमुख को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इसे प्रशासकीय अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।
9. अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए विषयों हेतु विषय विशेषज्ञ रखना होगा।
10. विषय विशेषज्ञ हेतु प्रयास संस्था के आसपास रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी कोचिंग संस्था की होगी।
11. शाला अवधि पश्चात रेमेडियल क्लासेस हेतु कोचिंग संस्था के विषय विशेषज्ञ अनिवार्य रूप से प्रयास संस्था में उपस्थित रहेंगे।
12. प्रवेशित अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व विकास एवं इंग्लिश स्पीकिंग हेतु भी प्रशिक्षण देना होगा।
13. प्रतियोगी परीक्षाओं (NTSE, Science Olympiad, Maths Olympiad, JEE main/advance, AIIMS, NEET, CA/CS/CMA & CLAT) इत्यादि का फार्म भरवाना, काउंसलिंग कराना तथा विद्यार्थियों को इन संस्थाओं में प्रवेश दिलाने हेतु सहयोग प्रदान करना। यह कोचिंग संस्था एवं विद्यालय में कार्यरत विभागीय अमले का संयुक्त दायित्व होगा।
14. विभाग के अधिकारियों द्वारा संस्थान का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा। इस हेतु विद्यालय में निरीक्षण पंजी रखना होगा। विभागीय अधिकारियों द्वारा शिक्षण/कोचिंग से संबंधी आवश्यक अभिलेख मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
15. संस्था को एक कैरियर काउंसलर/मनोवैज्ञानिक रखना होगा।
16. ऑनलाईन सॉफ्टवेयर पर कोचिंग संस्था द्वारा विद्यार्थियों की प्रगति अपलोड करना होगा।
17. उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त "रूचि की अभिव्यक्ति" में दर्शाई गई शर्तें ही अंतिम रूप से मान्य होंगी जिसके आधार पर ही कोचिंग संस्था को कार्य संपादित करना होगा अन्यथा अनुबंध के शर्तों अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

16. प्रशासकीय अधिकारी के दायित्व :-

(47) (26)

(59)

- (i) प्रशासकीय अधिकारी विद्यालय के प्रमुख होंगे तथा विद्यालय पर समस्त प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण प्रशासकीय अधिकारी का होगा।
- (ii) प्रशासकीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वह विद्यालय के गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन एवं परिणामोन्मुख बनाने हेतु हर संभव प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों के सुविधा एवं सुरक्षा हेतु सी.सी.टी. कैमरा स्थापित किया जाएगा साथ ही कक्षा अध्यापन के मॉनिटरिंग हेतु सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक क्लास में लगाए जायेंगे जिसे ऑनलाईन सिस्टम से केंद्रीयकृत व्यवस्था के माध्यम से शैक्षणिक मॉनिटरिंग की जाएगी।
- (iii) विद्यालय के क्रियाकलापों के लिए दरिष्ट कार्यालयों एवं अन्य विभागों से सहयोग लेने हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे।
- (iv) प्रशासकीय अधिकारी कोचिंग संस्थान द्वारा प्रदत्त फैंकल्टी पर पूर्ण नियंत्रण रखेंगे। इस हेतु बायोमैट्रिक अटेंडेंस से मॉनिटरिंग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन का उपस्थिति पंजी, शिक्षक डायरी, शिक्षक प्रगति, समय-सारणी अनुसार विद्यालय का संचालन करेंगे। शिक्षक प्रतिदिन की उपस्थिति-अनुपस्थिति के कारण स्थानापन्न शिक्षक का प्रमाणीकरण प्रतिदिन प्रशासकीय अधिकारी करेंगे।
- (v) प्रशासकीय अधिकारी, अनुबंध की शर्तों के अनुरूप अनुबंधित कोचिंग संस्थान से कार्य करवायेंगे। तथा अनुबंध अनुसार समयावधि में परीक्षण उपरांत कोचिंग संस्थाओं को भुगतान करेंगे या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को अनुशंसा के साथ भेजेंगे। सभी टैक्स की कटौतियाँ नियमानुसार करेंगे। त्रुटिपूर्ण एवं आधिक्य के भुगतान हेतु भुगतानकर्ता अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- (vi) विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु समय-समय पर मेहमान प्रवक्ता को आमंत्रित कर व्याख्यान करायेंगे।
- (vii) भोजन का सुव्यवस्थित संचालन करायेंगे एवं उसका हिसाब रखेंगे एवं प्रतिमाह भोजन व्यय का हिसाब रखेंगे तथा प्रति विद्यार्थी डाइट चार्ज निकालेंगे।
- (viii) प्रतिमाह मदवार व्यय विवरण प्रस्तुत करेंगे।
- (ix) प्रशासकीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वह विद्यार्थियों के तटस्थ मूल्यांकन का भी प्रबंध करेंगे, जिससे विद्यार्थी एवं कोचिंग संस्था के कोचिंग की दक्षता का मूल्यांकन हो। यह वर्ष में दो बार अपनी सुविधानुसार आयोजित करेंगे। इसकी प्रगति से विभाग को अवगत कराना होगा।
- (x) समय-समय पर विभाग के हित में सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करेंगे।
- (xi) अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य उचित कार्य आबंटन करेंगे एवं उन पर नियंत्रण रखेंगे।
- (xii) प्रशासकीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वे प्रतिमाह निर्धारित प्रपत्र में मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा विद्यार्थियों की प्रगति का विश्लेषण कर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के माध्यम से राज्य मुख्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

17. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के दायित्व :-

- (i) प्रयास आवासीय विद्यालय का समय-समय पर पर्यवेक्षण करेंगे एवं माह में न्यूनतम दो बार निरीक्षण करेंगे। कोचिंग संस्था के साथ अध्यापन/कोचिंग की प्रगति का मूल्यांकन कर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रतिमाह आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
- (ii) प्रशासकीय विद्यालयों के संचालन में आ रही बाधा समस्या का निराकरण करेंगे।
- (iii) प्रशासकीय अधिकारी के सीमा से बाहर अन्य कार्यों के लिए बाह्य सहायता एवं मार्गदर्शन देंगे।

18. प्रयास विद्यालय हेतु जिला स्तरीय संचालन/क्रियान्वयन समिति :-

जिला स्तर पर संचालन समिति (समस्त प्रयास विद्यालय हेतु) :- जिला स्तर पर संचालन समिति के निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

- | | |
|--|-----------|
| (1) संबंधित जिले के जिला कलेक्टर | - अध्यक्ष |
| (2) जिला शिक्षा अधिकारी | - सदस्य |
| (3) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | - सदस्य |
| (4) महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी | - सदस्य |

- (5) जिला खाद्य अधिकारी - सदस्य
 (6) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास - सदस्य सचिव
 (7) प्रशासकीय अधिकारी - सदस्य

68 68 20

59

संचालन समिति की बैठक प्रत्येक 03 माह में आयोजित की जाएगी। उक्त बैठक में प्रशासकीय अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, समस्त जानकारी के साथ अनिवार्यतः उपस्थित होंगे तथा कलेक्टर द्वारा अध्यापन/कोचिंग की समीक्षा उपरांत प्रतिवेदन विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

19. राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति :- इसका गठन निम्नानुसार होगा :-


- (1) भारसाधक सचिव, - अध्यक्ष
 छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.एवं अनु.जा.वि.वि.
 (2) विभागाध्यक्ष (आयुक्त/संचालक) आ.जा.एवं अनु.जा.वि.वि - सदस्य
 (3) संचालक, लोक शिक्षण - सदस्य
 (4) योजना प्रभारी अधिकारी - सदस्य सचिव
 (5) वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार आ.जा.एवं अनु.जा.वि.वि. - सदस्य
 (6) संबंधित जिले के सहायक आयुक्त/नोडल अधिकारी - सदस्य
 (7) प्रशासकीय अधिकारी, प्रयास विद्यालय - सदस्य

राज्य स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक 06 माह में आयोजित होगी। समिति योजना का संपूर्ण मूल्यांकन कर योजना में सुधार एवं इसे बेहतर बनाने हेतु निर्देश दे सकेगी। समिति की बैठक सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा तय की जाएगी।

20. वित्त पोषण एवं बजट :-

योजना के क्रियान्वयन पर होने वाला व्यय मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत मांग संख्या 64 मुख्यशीर्ष 2202 योजना क्रमांक 7437 द्वारा किया जाएगा।

21. विवाद का निराकरण :- संस्था चयन प्रक्रिया के दौरान विवाद अथवा विवाद की स्थिति निर्मित होने पर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0) का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।



सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
 महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर


60

// आदेश //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16 SEP 2021
/09/2021

क्रमांक/एफ-14-15/2007/25/2: राज्य शासन एतद्वारा स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना (संशोधित) नियमावली वर्ष 2020 की स्वीकृति प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.ए. निर्मलकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.

पृ.क्रमांक/एफ-14-15/2007/25/2/14/6 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16 SEP 2021
/09/2021

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, नान. मंत्री, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर.
 - 2- महालेखाकार छ.ग. रायपुर
 - 3- सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर.
 - 4- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर.
 - 5- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर.
 - 6- समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
 - 7- समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
 - 8- समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- आर्डर बुक.


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.




DC (PS)
24/9

(61)

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुजाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना (संशोधित)
नियमावली वर्ष 2020

1. **उद्देश्य :-** प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तथा नक्सल पीड़ित/प्रभावित क्षेत्रों के शालाओं से पूर्व माध्यमिक (कक्षा 8वीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए पूर्णतया आवासीय एवं नि:शुल्क गुणवत्तापरक हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल (यथा कक्षा 9वीं, 10वीं एवं 11वीं 12वीं) स्तर की स्कूल शिक्षा के साथ-साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्लेट, सी.ए./सी.एस/सी.एम.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने सक्षम/प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कोचिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
2. **परिभाषाएं :-**
 - (i) **स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय-** प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में पूर्णतया तथा आंशिक रूप से शामिल/घोषित जिलों के अनुसूचित क्षेत्र में स्थित शालाओं से पूर्व माध्यमिक (कक्षा 8वीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापरक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा एवं इस स्तर पर राज्य/राष्ट्रीय स्तर की होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु राज्य शासन द्वारा संचालित स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय से है।
 - (ii) **संस्था -** संस्था से अभिप्राय प्रयास आवासीय विद्यालयों में अध्यापन/कोचिंग हेतु आउटसोर्सिंग से चयनित संस्था से है।
 - (iii) **अनुसूचित क्षेत्र-** अनुसूचित क्षेत्र से तात्पर्य प्रदेश में संविधान की 5वीं अनुसूचित के अनुसार घोषित अनुसूचित क्षेत्र से है।
 - (iv) **उपयोजना -** उपयोजना का आशय छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र से है।
 - (v) **विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG) -** राज्य के कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़िया तथा राज्य द्वारा मान्य पण्डों एवं भुजिया जनजाति समूह से है।
 - (vi) **अनुसूचित जनजाति -** संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जनजाति से है।
 - (vii) **अनुसूचित जाति -** संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जनजाति से है।
 - (viii) **अन्य पिछड़ा वर्ग -** छत्तीसगढ़ राज्य के घोषित अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल जातियों से है। इसमें किमीलेयर योजना के लाभ हेतु मान्य नहीं होगा।
 - (ix) **विभागीय परीक्षण एवं चयन समिति -** विभागीय चयन समिति से अभिप्राय योजना नियम की कंडिका 16 में वर्णित समिति से है।
 - (x) **जिला स्तरीय संचालन/क्रियान्वयन समिति -** संचालन समिति से अभिप्राय योजना नियम की कंडिका 20 में वर्णित समिति से है।
 - (xi) **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति -** अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति से अभिप्राय नियम की कंडिका 21 में वर्णित समिति से है।
3. **स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय:-**
 1. इस विद्यालय में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों का अध्ययन/अध्यापन होगा। इन विद्यालयों में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाएगी।

//2//


4. योजनांतर्गत शामिल क्षेत्र :-

1. प्रदेश के सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में स्थित शासकीय/अशासकीय शालाएं।
2. नक्सल प्रभावित (केवल LWE) घोषित ऐसे जिले अथवा नक्सल प्रभावित जिले के ऐसे भू-भाग जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं हैं वहां पर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्थित शासकीय/अशासकीय शालाएं।
3. विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (कनार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबूझमारिया, पण्डो तथा मुंजिया) के विद्यार्थियों हेतु, सम्पूर्ण प्रदेश क्षेत्र के रूप में मान्य होगा।

5. प्रयास आवासीय विद्यालयों में चयन हेतु मापदण्ड :-

- (i) विद्यार्थी को कंडिका (4) में शामिल क्षेत्र के किसी विद्यालय से कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- (ii) कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अथवा अध्ययनरत विद्यार्थी विभाग द्वारा प्रवेश हेतु आयोजित प्राक्चयन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे किन्तु प्रयास संस्था में प्रवेश के समय न्यूनतम 60% अंक/समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण होने संबंधी अंकसूची संस्था के प्रशासकीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित परिवार के बच्चों पर उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा अर्थात् उन्हें संस्था में सीधे प्रवेश दिया जायेगा, किन्तु नक्सल हिंसा से परिवार प्रभावित है, इसके लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. आवासीय विद्यालयों में सीट क्षमता:-

प्रयास आवासीय विद्यालयों में सीट क्षमता निम्नानुसार होगी:-

क्र.	जिले का नाम	प्रयास विद्यालय का नाम	कक्षावार (9वीं से 12वीं) निर्धारित सीटों की संख्या	संकाय जिसका अध्यापन/कोचिंग दिया जाना है
01	रायपुर	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, सड़डू रायपुर	200×4=800	गणित संकाय (जेईई मेंस/एडवांस एवं समकक्ष)
		प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, गुदियारी, रायपुर	155×4=620	जीव विज्ञान संकाय (नीट एवं समकक्ष)
02	दुर्ग	प्रयास आवासीय विद्यालय, दुर्ग (बालक)	75×4=300	जीव विज्ञान संकाय (नीट एवं समकक्ष)
		प्रयास आवासीय विद्यालय, दुर्ग (कन्या)	50×4=200	गणित संकाय (जेईई मेंस/एडवांस एवं समकक्ष)
03	बिलासपुर	प्रयास आवासीय विद्यालय, बिलासपुर (बालक)	75×4=300	वाणिज्य संकाय(सी.ए.सी. एस.सी.एम.ए. एवं समकक्ष)
		प्रयास आवासीय विद्यालय, बिलासपुर (कन्या)	50×4=200	कला संकाय (क्लेट)
04	बस्तर	प्रयास आवासीय विद्यालय, जगदलपुर (बालक)	75×4=300	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेंस/एडवांस एवं नीट)
		प्रयास आवासीय विद्यालय, जगदलपुर (कन्या)	50×4=200	
05	सरगुजा	प्रयास आवासीय विद्यालय, अंबिकापुर (बालक)	75×4=300	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेंस/एडवांस एवं नीट)
		प्रयास आवासीय विद्यालय, अंबिकापुर (कन्या)	50×4=200	

क्र.	जिले का नाम	प्रयास विद्यालय का नाम	कक्षावार (9वीं से 12वीं) निर्धारित सीटों की संख्या	संकाय जिसका अध्यापन/कोचिंग दिया जाना है
06	कांकेर	प्रयास आवासीय विद्यालय, कांकेर (बालक)	50×4=200	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेंस/ एडवांस एवं नीट)
		प्रयास आवासीय विद्यालय, कांकेर (कन्या)	50×4=200	
07	जशपुर	प्रयास आवासीय विद्यालय, जशपुर (बालक)	50×4=200	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेंस/ एडवांस एवं नीट)
		प्रयास आवासीय विद्यालय, जशपुर (कन्या)	50×4=200	
08	कोरबा	प्रयास आवासीय विद्यालय, कोरबा (बालक)	50×4=200	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेंस/ एडवांस एवं नीट)
		प्रयास आवासीय विद्यालय, कोरबा (कन्या)	50×4=200	
योग			4,620	-

मांग/उपलब्धता के आधार पर विद्यालयों में परस्पर सीटों की संख्या में राज्य स्तर (आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास) से परिवर्तन/समायोजन किया जा सकेगा।

7. प्रवेश में आरक्षण :-

अनुसूचित क्षेत्रों/उपयोजना क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग हेतु निम्नानुसार सीटें निर्धारित होगी:-

1. अनुसूचित जनजाति- 53%
2. विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीवीटीजी)-04%
3. अनुसूचित जाति- 13%
4. अन्य पिछड़ा वर्ग- 20%
5. सामान्य वर्ग- 10%

टीप:- 1- सीट रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग परस्पर परिवर्तनशील होगा। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग परस्पर परिवर्तनशील होगा।

2- पीवीटीजी, (विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से तात्पर्य नियम के कडिका 02 के कडिका (v, vi, vii, viii) में उल्लेख अनुसार है।

8. विद्यार्थियों के लिए चयन प्रक्रिया :-

- i. LWE पीड़ित परिवार के पात्र बच्चों को संस्था में सीधे प्रवेश की पात्रता होगी।
- ii. प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा हेतु यथा समय विज्ञप्ति राज्य/जिला स्तर पर प्रकाशित करायी जाएगी।
- iii. सभी प्रयास विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। कक्षा 8वीं में, 60 प्रतिशत/समकक्ष ग्रेड प्राप्त विद्यार्थी/कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा हेतु पात्र होंगे।
- iv. विज्ञापन में प्रकाशित विवरण एवं शर्तों के अनुसार विद्यार्थी को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- v. प्रवेश परीक्षा संबंधित जिला मुख्यालय पर आयोजित की जावेगी। परीक्षा केन्द्र का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर/सहायक आयुक्त द्वारा किया जाएगा।
- vi. प्रवेश परीक्षा का आयोजन जिला कलेक्टर/सहायक आयुक्त द्वारा अपने निगरानी में कराया जायेगा।

//4//

//4//

- vii. मूल्यांकन कार्य एवं मेरिट सूची तैयार करने का दायित्व आयुक्त द्वारा संचालित प्रयास विद्यालयों में से किसी एक विद्यालय को सौंपा जायेगा अथवा वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकेगी। प्रावच्यन परीक्षा हेतु प्रक्रिया का निर्धारण आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा किया जायेगा।
- viii. आवेदकों को संस्था में प्रवेश हेतु प्राथमिकता क्रम का विकल्प अपने आवेदन में देना होगा।
- ix. प्रयास आवासीय विद्यालय का आबंटन चयनित विद्यार्थियों द्वारा अर्जित मेरिट तथा उनके द्वारा दिए गए विकल्प के प्राथमिकता क्रम से सीट उपलब्धता अनुसार किया जाएगा। इस हेतु विद्यार्थी या उसके पालक से प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का विवरण लिखित में लिया जायेगा।
9. मान्यता प्राप्त बोर्ड अंतर्गत नामांकन:- प्रयास आवासीय विद्यालय में वर्तमान में छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड के अधीन संचालित है। आवश्यकता अनुसार बोर्ड में परिवर्तन की कार्यवाही आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के द्वारा की जा सकेगी।
10. शिक्षा का माध्यम:- प्रयास आवासीय विद्यालय में शिक्षण का माध्यम हिन्दी होगा। आवश्यकता अनुरूप विभाग द्वारा अंग्रेजी माध्यम में भी अध्यापन/कोचिंग का कार्य कराया जा सकेगा।
11. आवासीय विद्यालयों के संचालन:- प्रयास आवासीय विद्यालयों में भवन, मेस, छात्रावास, विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश, पाठ्यपुस्तक, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा तथा समस्त अधोसंरचना इत्यादि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। शैक्षणिक सुविधा अंतर्गत शिक्षकों की व्यवस्था निजी संस्थाओं से आउट सोर्स से की जाएगी, जिसके लिए पंजीकृत शैक्षणिक निजी संस्थानों से "रूचि की अभिव्यक्ति" के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा। किन्हीं कारणों से संस्था चयन नहीं होने पर आयुक्त द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जा सकेंगे।
12. कोचिंग संस्था के चयन हेतु प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यवाही के अधिकार:-
- रूचि की अभिव्यक्ति हेतु फार्म/डाक्यूमेन्ट आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर द्वारा तैयार किया जाएगा। अध्यापन तथा कोचिंग हेतु संस्था चयन के लिए केन्द्रीयकृत विज्ञापन जारी किया जायेगा। इसमें निजी कोचिंग संस्थाओं के लिए मानकों का उल्लेख होगा।
 - चयनित संस्थाओं में से मेरिटक्रमानुसार कोचिंग संस्था के चार्ज/विकल्प के अनुसार विज्ञापित विद्यालयों में से एक शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम 02 (दो) विद्यालयों में अध्यापन एवं कोचिंग का कार्य सौंपा जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।
 - प्रयास विद्यालयों हेतु चयनित संस्था से अनुबंध एवं कार्यादेश जारी करने तथा अनुबंध अनुसार भुगतान करने, मॉनिटरिंग एवं नियंत्रण हेतु संबंधित जिला कलेक्टर पूर्ण सक्षम होंगे। अनुबंध अनुसार संस्थाओं द्वारा कार्य न करने पर उनके विरुद्ध अनुबंध के प्रावधानों के आधार पर कार्यवाही हेतु कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी होंगे।
13. रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने हेतु अर्हता:- मुख्य अर्हताएं इस प्रकार है -
- कोचिंग संस्था: सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) तहत पंजीकृत हो। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।
 - संस्था का पैन (PAN) एवं टैन (TAN)/जीएसटी (GST) नम्बर होना चाहिए।


 /5//

- iii. विगत 03 वर्षों का टर्न ओवर प्रतिवर्ष राशि रु. 50.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 03 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) एवं आई.टी. आर. प्रस्तुत करना होगा।
- iv. सुरक्षा निधि के रूप में पांच लाख का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. संलग्न होना चाहिए। आवेदक संस्था का चयन नहीं होने पर निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. वापसी योग्य होगा। चयनित/अनुबंधित संस्था को अनुबंध अनुसार कुल भुगतान योग्य राशि का 10 प्रतिशत बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर एफ.डी.आर. वापसी योग्य होगा।
- v. इसके अतिरिक्त अर्हता का विवरण उस वर्ष प्रकाशित रूचि की अभिव्यक्ति में उल्लेखित किया जाएगा। जिसका निर्धारण आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नया रायपुर द्वारा किया जाएगा।

14. राशि का भुगतान:- चयनित/अनुबंधित कोचिंग संस्था को अनुबंधित राशि का भुगतान किश्तों में किया जायेगा, जिसका निर्धारण आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन रायपुर द्वारा किया जायेगा। कोचिंग संस्था को किश्त अनुसार देय राशि से अधिक भुगतान किये जाने की स्थिति में आधिक्य की राशि कोचिंग संस्था से वसूलनीय होगी।

15. रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:- कंडिका 13 में उल्लेखित अर्हता में उपयुक्त पाए जाने पर तकनीकी निविदा खोली जाएगी। प्रक्रिया का उल्लेख उस वर्ष हेतु प्रकाशित रूचि की अभिव्यक्ति में किया जाएगा।

16. रूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का चयन तथा मूल्यांकन :-

संबंधित वर्ष में प्रकाशित रूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत उल्लेखित आवेदक कोचिंग संस्थाओं की अर्हता का परीक्षण करने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं ली सकेगी। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण एवं चयन निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जाएगा :-

- | | | |
|------|--|--------------|
| i. | आयुक्त/संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, | - अध्यक्ष |
| ii. | वित्त नियंत्रक/संयुक्त, संचालक (वित्त) | - सदस्य |
| iii. | संचालक/प्रतिनिधि, एस.सी.ई.आर.टी. | - सदस्य |
| iv. | योजना प्रभारी अधिकारी | - सदस्य सचिव |
| v. | सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर | - सदस्य |
| vi. | प्रशासकीय अधिकारी प्रयास बालक/कन्या, आवासीय विद्यालय, रायपुर | - सदस्य |

17. चयनित कोचिंग संस्था के दायित्व :-

1. बी.एड. सहित एम.ए./एम.एस.सी., बी.टेक./बी.ई./एम.बी.बी.एस. में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षक रखे जायेंगे।
2. संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षक/फैकल्टी के पास में कम से कम 3 वर्ष का कोचिंग अनुभव होना चाहिए।
3. प्रयास विद्यालय हेतु नियोजित शिक्षक प्रयास विद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था/कोचिंग कक्षाओं में अध्यापन कार्य नहीं करेगा।
4. प्रयास विद्यालय में शिक्षकों को आयुक्त/संबंधित जिले के कलेक्टर की अनुमति से ही बदला जा सकेगा।
5. चयनित शिक्षकों द्वारा प्रभावी/गुणवत्ता मूलक शिक्षण करने में सक्षम नहीं पाए जाने पर आयुक्त/कलेक्टर के निर्देश पर योग्य शिक्षक की पूर्ति 15 दिवस के अंदर करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में रूचि की अभिव्यक्ति की शर्तों के अनुसार राशि कटौती की जा सकेगी।
6. समस्त आवश्यक शैक्षणिक सामग्री अनुबंध अनुसार उपलब्ध कराना होगा।

7. अनुबंध होने के पश्चात प्रशासकीय अधिकारी द्वारा लिखित सूचना दिए जाने के अधिकतम एक सप्ताह के अंदर कोचिंग/अध्यापन प्रारंभ करना होगा।
8. प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रत्येक माह नार्सिक, त्रैनासिक एवं छ:माही टेस्ट लेना होगा एवं मूल्यांकन करना होगा। मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थियों के अध्ययन में सुधार हेतु सुझाव तथा अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सतत् सकारात्मक प्रयास करना होगा। टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अभिलेख संस्था प्रमुख को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इसे प्रशासकीय अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
9. अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए विषयों हेतु विषय विशेषज्ञ रखना होगा।
10. विषय विशेषज्ञ हेतु प्रयास संस्था के आसपास रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी कोचिंग संस्था की होगी।
11. शाला अवधि पश्चात रेमेडियल क्लासेस हेतु कोचिंग संस्था के विषय विशेषज्ञ अनिवार्य रूप से प्रयास संस्था में उपस्थित रहेंगे।
12. प्रवेशित अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व विकास एवं इंग्लिश स्पीकिंग हेतु भी प्रशिक्षण देना होगा।
13. प्रतियोगी परीक्षाओं (NTSE, JEE main/advance, AIIMS, NEET, CA/CS & CLAT) इत्यादि का फार्म भरवाना, काउंसलिंग कराना तथा विद्यार्थियों को इन संस्थाओं में प्रवेश दिलाने हेतु सहयोग प्रदान करना। यह कोचिंग संस्था एवं विद्यालय में कार्यरत विभागीय अमले का संयुक्त दायित्व होगा।
14. विभाग के अधिकारियों द्वारा संस्थान का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा। इस हेतु विद्यालय में निरीक्षण पंजी रखना होगा। विभागीय अधिकारियों द्वारा शिक्षण/कोचिंग से संबंधी आवश्यक अभिलेख मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
15. संस्था को एक करियर काउंसलर/मनोवैज्ञानिक रखना होगा।
16. ऑनलाईन साफ्टवेयर पर कोचिंग संस्था द्वारा विद्यार्थियों की प्रगति अपलोड करना होगा।
रुचि की अभिव्यक्ति में नियुक्त शिक्षक की न्यूनतम योग्यता/अर्हता के संबंध में निविदा में उल्लेख अनुसार उपरोक्त बिन्दु यथावत् रहेंगे। उस वर्ष हेतु प्रकाशित रुचि की अभिव्यक्ति में इस संबंध में अन्य बिन्दुओं का उल्लेख किया जा सकेगा।

18. प्रशासकीय अधिकारी के दायित्व :-

- (i) प्रशासकीय अधिकारी विद्यालय के प्रमुख होंगे तथा विद्यालय पर समस्त प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण प्रशासकीय अधिकारी का होगा।
- (ii) प्रशासकीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वह विद्यालय के गतिविधियों का सफलता पूर्वक संचालन एवं परिणामोन्मुख बनाने हेतु हर संभव प्रयास करेंगे।
- (iii) विद्यालय के क्रियाकलापों के लिए वरिष्ठ कार्यालयों एवं अन्य विभागों से सहयोग लेने हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे।
- (iv) प्रशासकीय अधिकारी कोचिंग संस्थान द्वारा प्रदत्त फैंकल्टी पर पूर्ण नियंत्रण रखेंगे। इस हेतु बायोमैट्रिक अटेंडेंस से मॉनिटरिंग किया जायेगा।
- (v) प्रशासकीय अधिकारी, अनुबंध की शर्तों के अनुरूप अनुबंधित कोचिंग संस्थान से कार्य करवायेंगे।
- (vi) विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु समय-समय पर मेहमान प्रवक्ता को आमंत्रित कर व्याख्यान करायेंगे।
- (vii) मेस का सुव्यवस्थित संचालन करायेंगे एवं उसका हिसाब रखेंगे तथा प्रतिमाह भोजन व्यय का हिसाब रखेंगे तथा प्रति विद्यार्थी डाइट चार्ज निकालेंगे।
- (viii) प्रतिमाह मदवार व्यय विवरण प्रस्तुत करेंगे।

- (ix) विद्यालय में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करना सुनिश्चित करेंगे।
- (x) प्रशासकीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वह विद्यार्थियों के तटस्थ मूल्यांकन का भी प्रबंध करेंगे, जिससे विद्यार्थी एवं कोचिंग संस्था की कोचिंग की दक्षता का मूल्यांकन हो। यह वर्ष में दो बार अपनी सुविधानुसार आयोजित करेंगे। इसकी प्रगति से विभाग को अवगत कराना होगा।
- (xi) समय-समय पर विभाग के हित में सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करेंगे।
- (xii) अधीनस्थ कर्मचारियों के नध्य उचित कार्य आबंटन करेंगे एवं उन पर नियंत्रण रखेंगे।

19. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के दायित्व :-

- (i) प्रयास आवासीय विद्यालय का समय-समय पर पर्यवेक्षण करेंगे तथा माह में न्यूनतम दो बार निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- (ii) प्रशासकीय विद्यालयों-के संचालन में आ रही बाधा समस्या का निराकरण करेंगे।
- (iii) प्रशासकीय अधिकारी के सीमा से बाहर अन्य कार्यों के लिए बाह्य सहायता एवं मार्गदर्शन देंगे।

20. प्रयास विद्यालय हेतु जिला स्तरीय संचालन/क्रियान्वयन समिति:-

जिला स्तर पर संचालन समिति (समस्त प्रयास विद्यालय हेतु):- जिला स्तर पर संचालन समिति के निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

- | | |
|--|--------------|
| (1) जिला कलेक्टर | - अध्यक्ष |
| (2) जिला शिक्षा अधिकारी | - सदस्य |
| (3) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | - सदस्य |
| (4) महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी | - सदस्य |
| (5) जिला खाद्य अधिकारी | - सदस्य |
| (6) सहायक आयुक्त, आ.जा.क. | - सदस्य सचिव |
| (7) प्रशासकीय अधिकारी | - सदस्य |

संचालन समिति की बैठक प्रत्येक 03 माह में आयोजित की जाएगी। इसमें समस्त प्रशासकीय अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, समस्त जानकारी के साथ अनिवार्यतः उपस्थित होंगे।

21. राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति :- इसका गठन निम्नानुसार होगा :-


- | | |
|---|--------------|
| (1) भारसाधक सचिव, | - अध्यक्ष |
| छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.एवं अनु.जा.वि.वि. | |
| (2) आयुक्त/संचालक, आ.जा.एवं अनु.जा.वि.वि. | - सदस्य |
| (3) संचालक, लोक शिक्षण | - सदस्य |
| (4) वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार | - सदस्य |
| आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि. | |
| (5) योजना प्रभारी अधिकारी | - सदस्य सचिव |
| (6) संबंधित जिले के सहायक आयुक्त/ | - सदस्य |
| नोडल अधिकारी | |
| (7) प्रशासकीय अधिकारी | - सदस्य |

समिति योजना का संपूर्ण मूल्यांकन कर योजना में सुधार एवं इसे बेहतर बनाने हेतु निर्देश दे सकेगी।



22. वित्त पोषण एवं बजट :-

- (अ) योजना के क्रियान्वयन पर होने वाला व्यय मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत मांग संख्या 41 मुख्यशीर्ष 2202 योजना क्रमांक 7437 द्वारा किया जाएगा।
- (ब) योजना अंतर्गत चयनित/अनुसूचित संस्था को प्रति विद्यार्थी के मान से 9वीं एवं 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के अध्यापन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग हेतु शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा। शिक्षण शुल्क का भुगतान 04 वर्षों में (अनुबंध अवधि के अंतर्गत) विभिन्न किश्तों में किया जाएगा।
23. संस्था से संबंधित कोई भी विवाद की स्थिति निर्मित होने पर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) का निर्णय अन्तिम होगा।
24. निरसन - नवीन नियम 2020 लागू होने की तिथि से पूर्व में प्रचलित नियम अधिक्रमित माने जायेंगे।


16/9/21
(आर.ए. निर्मलकर)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.